अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	1
निदेशकों का प्रतिवेदन	2
अनुपालना प्रमाण–पत्र	6
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	7
तुलन–पत्र	13
लाभ एवं हानि खाता	14
नकद प्रवाह विवरण	15
तुलनपत्र एवं लाभहानि खातों पर टिप्पणियाँ	16
लेखा परीक्षकों के प्र[illegible]	36
सी.ए.जी. की टिप्पणी	42
प्रोक्सी फार्म	44

Scanned with CamScanner

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष	श्री प्रवीण गुप्ता शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार, जयपुर
निदेशक	श्री संजय मल्होत्रा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
	श्री अखिल अरोरा शासन सचिव, आयोजना राजस्थान सरकार, जयपुर
	श्रीमती उर्मिला जोशी संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
प्रबन्ध निदेशक	श्री ओ.पी यादव आयुक्त आबकारी विभाग राजस्थान सरकार, उदयपुर
कार्यकारी निदेशक	श्री इकबाल खान
कम्पनी सचिव	श्री आर.के. सिंघल
वैधानिक अंकेक्षक	चतर एण्ड चतर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
पंजीकृत कार्यालय–	डी–ब्लॉक, प्रथम मंजिल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर–302005
फोन फैक्स ई मेल – वेबसाइट –	0141–2744231–9 0141–2744237 ed@rsbcl.net www.rajexcise.gov.in

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

वित्त भवन, (प्रथम तल, डी–ब्लाक) जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष : 2744239, फैक्स : 2744237
CIN : U15511RJ2005SGC020336

दिनांक 27 अगस्त, 2014

संख्या ए–2(9)
समस्त अंशधारक,
निदेशक एवं अन्य

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारको/सदस्यों की नवीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 24 सितम्बर, 2014 को कॉरपोरेशन के पंजीकृत कार्यालय में उक्त पते पर निम्नांकित कार्य सम्पादन हेतु सायंकालः 4.00 बजे आयोजित होगी।

यदि उचित समझा गया तो संशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रूप में पारित करने के लिए विचार करना ।

साधारण कारोबार के रूप में:

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लाभ–हानि खाता तथा उसी दिनांक को तुलन पत्र, उस पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंशधारकों/सदस्यो हेतु प्रस्तुत निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत करना।
2. लाभांश, यदि कोई हो, घोषित करना।
3. यह भी प्रस्तावित है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8) एए के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वैधानिक लेखा–परीक्षकों के लिए देय पारिश्रमिक रू. 1,18,800/– एवं सर्विस टैक्स प्रतिवर्ष तथा यात्रा भत्ता व अन्य खर्चे अधिकतम 45,000/– निर्धारित किया जाता है।

   यह भी प्रस्तावित है कि निगम के निदेशक मण्डल को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8) एए और उसमें किये गये संशोधन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं उसके बाद के लिए वैधानिक लेखा–परीक्षकों के लिए संदेय पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

स्थानः जयपुर
दिनांक 27 अगस्त, 2014

ह0
(आर.के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

नोटः

1. कोई भी सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत है, एवं स्वयं के बदले मतदान में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है, परन्तु उस प्रतिनिधि के लिए कॉरपोरेशन का सदस्य होना आवश्यक है। इसके प्रभावी होने के लिये प्रतिनिधित्व निगम के मीटिंग के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए।
   प्रतिनिधित्व–प्रारूप संलग्न हैं।
2. तुलन पत्र, लाभ–हानि खाता, वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ एवं अंशधारको को निदेशको का प्रतिवेदन संलग्न है।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ बैठक के दौरान उपलब्ध करा दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
अंशधारको/सदस्यो हेतु
निदेशको का प्रतिवेदन

महानुभावों,

आपके निगम के निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम की कार्य प्रणाली पर नवां वार्षिक प्रतिवेदन लेखों के अंकेक्षित लेखा विवरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. व्यावसायिक ढांचा:

1.1 व्यावसायिक परिचालन:

निगम ने आई.एम.एफ.एल. और बीयर के विक्रय हेतु बाजार की गतिशीलता से अप्रभावित नीति बनाई है। परिणामस्वरूप, विक्रेताओं के बीच वर्ष भर स्वस्थ स्पर्धा जारी रही है।

निगम ने अपने पुराने अनुभव के आधार पर अपनी नीतियों में की गई छोटी–छोटी कठिनाइयों को चालू वर्ष में दूर करने का प्रयास किया है।

1.2 कार्य प्रणाली में पारदर्शिता/ऑन लाइन परिचालन:

निगम अपनी समस्त व्यापारिक गतिविधियाँ, वेब–आधारित ऑन लाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा करता है जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाना सम्भव हो गया है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा किये जाने वाले समस्त व्यापारिक लेन–देनों को सीधे देखने का अधिकार सभी आपूर्तिकर्ताओं को है, जिससे वे समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें जैसे ओ.एफ.एस. जारी करना, ओ.एफ.एस. विस्तार की स्वीकृति, गोदाम में माल की आवक, विभिन्न ब्राण्डो की बिक्री, विभिन्न ब्राण्ड के स्टॉक की स्थिति, साप्ताहिक भुगतान, इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी की गणना इत्यादि। साथ ही प्रत्येक मास में सम्बन्धित अनुज्ञाधारियों को उनके खाते की नकल उनके मिलान करने के उदेश्य हेतु दी जाती है।

1.3 आधारभूत सुविधाएँ:

सभी डिपो फर्नीचर व टेलीफोन आदि नित्योपयोगी सुविधाओं के साथ ही प्रिन्टर सहित कम्प्यूटर, आनलाइन सॉफ्टवेयर संचालन के लिए इन्टरनेट सुविधा, यूपीएस और विद्युत संकट से मुक्ति के लिए जनरेटर सैट से भी सुसज्जित है। सभी डिपोज पर उचित प्रबन्धन व नियंत्रण के लिये क्लोज सर्किट कैमरे स्थापित करवा दिये है।

1.4 वित्तीय प्रबन्धन:

सशक्त एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन कॉरपोरेशन की मुख्य शक्ति है। निगम की मुख्य वाणिज्यिक क्रिया विशेष रूप से आई.एम.एफ.एल./बीयर की खरीद व बिक्री ऑनलाइन बेसिस पर वास्तविक समय पर उपलब्ध है जिसके कारण कॉरपोरेशन का समस्त कार्य सुव्यस्थित है। आपूर्तिकर्ताओं को स्टॉक, बिक्री, बकाया राशि की स्थिति किसी भी समय, कही भी देखने के लिए लॉग–इन/पासवर्ड सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह प्रक्रिया निगम के कार्य कलापों की सही पारदर्शिता प्रदान करती हैं।

आलोच्य वर्ष बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं यूको बैंक के द्वारा कोर बैंकिग सॉल्यूशन (सी.बी. एस.) सुविधा सर्वोत्तम स्तर पर प्रदान की गई है। बैंक द्वारा भेजा जाने वाला दैनिक कस्टमाइज्ड बैकिंग स्टेटमेंट और इसका शाखानुसार/डिपो अनुसार व्यवस्थित 'सॉफ्टवेयर मोड्यूल' के उपयोग से डिपो पर दैनिक जमा का मिलान सम्भव होता है।

Scanned with CamScanner

अब यह बताने की आवश्यकता है कि सी.बी.एस. नैटवर्क (कही भी बैकिंग) के प्रयोग से जयपुर सिंगलकोर बैंक खाते में रिटेलर्स को राजस्थान की लगभग 475 शाखाओं के द्वारा राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे किसी भी शाखा में जमा राशि निगम के जयपुर संधारित केन्द्रीय खाते मे तुरन्त जमा हो जाती है। इसके अलावा आर.एस.बी.सी.एल. के खाते से तीनों बैंकों की बेवसाइट्स के सहज एकीकरण की विधि द्वारा ये बैंक लाइसेंसधारियों के द्वारा आर.एस.बी.सी.एल. के खाते में जमा करायी गई राशि का विवरण वास्तविक समय पर प्रदान कर रहे हैं। उक्त व्यवस्था में उल्लेखनीय बात यह है कि खाते में दो लाख रूपये से अधिक बैलेंस होते ही स्मार्ट रोमर स्कीम के अन्तर्गत यह राशि स्वतः ही एफ.एफ.डी. (फ्लेक्सी फिक्सड डिपॉजिट) खाते में चली जाती हैं जिस पर कॉरपोरेशन को ब्याज अर्जित होता है।

सप्लायर्स व सभी सम्बन्धित अन्य पार्टियों को समय पर निर्धारित भुगतान निगम की कार्यकुशलता का स्पष्ट द्योतक है। निगम सम्बन्धित सप्लायर्स को देय साप्ताहिक भुगतान पूर्णतः आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सैटलमेंट) के द्वारा कर रहा है।

1.5 भावी दृष्टिकोण

निगम की नवें वर्ष की कार्यवाही सार्थक सिद्व हुई है जिससे कि निगम ने सरकार का विश्वास अर्जित किया है। अपनाई गई नीतियों से अधिक लाभांश सृजित हुआ है और पहले की तरह सरकारी नीतियों को मैत्रीपूर्ण चेहरे के साथ क्रियान्वित किया है। आपके निदेशक आश्वस्त हैं कि निगम भविष्य में भी आबकारी सैक्टर मे सुधार हेतु एक सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगा।

2.1 वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन की कुल बिक्री रु. 4428.12 करोड (राशि रु. 888.77 करोड वेट सहित) अतः वैट रहित कुल बिक्री रू. 3539.35 करोड की है जब कि गतवर्ष यह राशि रु. 3122.12 करोड वैट रहित थी। वर्ष 2012–13 में राशि रू. 62.79 करोड (19.00 करोड़ रूपये + 43.79 करोड़ रूपयें) के स्थान पर इस वर्ष प्रिविलेज फीस एवं लाईसेंस फीस के रूप में 5.29 करोड (रुपए 3 करोड़ + रुपए 2.29 करोड़) राजस्थान सरकार को चुकाए गए।

यह परिवर्तन राज्य सरकार की आबकारी नीति के अन्तर्गत अतिरिक्त आबकारी शुल्क बढाने तथा प्रिविलेज फीस व लाइसेंस फीस को आबकारी विभाग द्वारा कम करने के कारण हुआ है।

इस वर्ष 6.40 प्रतिशत ब्याज में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2012–13 में यह ब्याज की राशि रु. 13.91 करोड़ थी जो इस वर्ष बढ़कर राशि रु. 14.80 करोड़ हुई।

2.2 लाभांश

निदेशक मण्डल ने प्रदत्त पूँजी पर 10 प्रतिशत की दर से लाभांश देने की अनुशंषा की है। लाभांश भुगतान हेतु राशि रू. 23,39,990/– (गत वर्ष राशि रू. 23,24,450) (लाभांश–वितरण कर सहित) की आवश्यकता होगी।

3 बैलेंस शीट की तिथि से आज तक के बीच महत्वपूर्ण तथ्यात्मक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता –कुछ नहीं।

4 निवेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

4.1 यह कि चालू वर्ष के वित्तीय खाते बनाने में एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड्स का पालन किया गया है व महत्वपूर्ण अंतर के लिए खुलासा किया गया हैं।

Scanned with CamScanner

4.2 यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया, उन्हे निरन्तर लागू किया एव ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो उचित एवं सूझबूझयुक्त थे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कामकाज की सत्य व स्पष्ट स्थिति तथा उनकी अवधि के कम्पनी के लाभ व हानि का सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

4.3 यह कि निदेशकों ने कम्पनी के अनुसार लेखा अभिलेखों के संधारण के लिए जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

4.4 यह कि निदेशकों ने चालू प्रतिष्ठान (ऑनगोइंग) के आधार पर वार्षिक लेखो को तैयार किया है।

5. **पूँजीगत संरचना:**
आलोच्य वर्ष में निगम की राशि रू. 5.00 करोड की प्राधिकृत पूँजी एवं राशि रू. 2.00 करोड की प्रदत्त पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6 **व्यवसाय (टर्न ओवर)**
इस वर्ष निगम का टर्नऑवर राशि रू. 4428.12 करोड (राशि रू. 888.77 करोड़ वैट/कम्पोजिशन सहित) गत वर्ष के टर्नऑवर राशि रू. 3122.12 करोड़ (बिना वेट/कम्पोजिशन) की तुलना में राशि रू. 3539.35 करोड (बिना वैट/कम्पोजिशन) है।

7. **वर्तमान दृष्टिकोण**
चालू वर्ष में आपके निगम का कार्य निष्पादन आशावादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है। हमें विश्वास है कि हम चालू वर्ष में और उसके बाद भी निगम के विकास को कायम रखेगें एवं उसकी लाभप्रदता में वृद्वि करेगें।

8. **प्रौद्योगिकी**
निगम किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोंग नही कर रहा है। उसने उर्जा संरक्षण की ओर भी ध्यान दिया है।

9 **कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अन्तर्गत प्रकटीकरण**
कम्पनी अधिनियम 1956 के साथ ही नियम 1975 (कर्मचारियों के सम्बन्ध में) के प्रावधानो के अनुसार यह उल्लेख किया जाता है कि आलोच्य वर्ष में किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नही किया है, अतः इस सम्बन्ध में सूचना शून्य समझी जावें।

10. **वैयक्तिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध**
निगम के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच वर्ष भर सम्बन्ध सुखद एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

11. **बोर्ड की बैठकें**
आलोच्य वर्ष में संचालक मण्डल के मूल्यवान परामर्श एवं मार्गदर्शन से निगम लाभान्वित हुआ है एवं इसके परिणामस्वरूप ही उल्लेखनीय परिणामों की प्राप्ति हुई हैं।

बोर्ड के निदेशक:-

राज्य सरकार द्वारा आलोच्य वर्ष मे निगम में श्री गोविन्द शर्मा के स्थान पर श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, श्री खेमराज के स्थान पर श्री संजय मल्होत्रा, श्री राकेश वर्मा के स्थान पर श्री अखिल अरोड़ा, श्री तन्मय कुमार के स्थान पर श्री प्रवीण गुप्ता, श्री दिनेश कुमार के स्थान पर श्री ओ.पी. यादव, श्री चेतन देवडा के स्थान पर श्री इकबाल खान, श्री

Scanned with CamScanner

अनूप खींची के स्थान पर श्री चेतन देवड़ा तथा श्री श्रवण साहनी के स्थान पर श्री अनूप खींची नियुक्त किये गये है। निगम बोर्ड में निदेशकों के रूप में वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों से प्राप्त मूल्यवान परामर्श एवं मार्ग निर्देशन के लिए हम उनकी हार्दिक प्रशंसा करते हैं।

12 लेखा परीक्षक

वर्ष 2013–14 के लिए लेखों की परीक्षा करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मै0 चतर एण्ड चतर, चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स को नियुक्त किया गया है।

13 आभार

आपके निदेशक, आलोच्य वर्ष में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिये निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निष्ठापूर्ण एवं प्रशंसनीय सेवाएँ प्रदान करने पर उनकी हार्दिक प्रशंसा करते है तथा हमें विश्वास है कि इसके सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आगामी वर्षो में भी निगम के कार्य–निष्पादन में और सुधार लाने हेतु निरन्तर कठिन परिश्रम करते रहेगें। निदेशक मण्डल, आलोच्य वर्ष के दौरान निगम को दिए गये सहयोग एवं मूल्यवान सहायता के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/कम्पनी बैंकर्स/अन्य स्वायत्तशासी निकायों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हैं।

बोर्ड की आज्ञा से

स्थानः जयपुर ह0 ह0

दिनांकः 27.08.2014

कार्यकारी निदेशक प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

मै0 चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एस–18, मंगल मार्ग
बापू नगर, जयपुर–302015
फोनः 91–141–2710597 / 2709713 / 2578670
ई–मेलः rakeshchatter@gmail.com
chatterca@gmail.com

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर के खातो का कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619 (3) (ए) के तहत सी एण्ड ए.जी. आफ इण्डिया के दिशानिर्देशों / उप–दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षण किया है और प्रमाणित करते है कि हमें जारी किये गए सारे दिशानिर्देशों / उप–दिशानिर्देशों की हमने अनुपालना की है।

चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

ह0
(राकेश चतर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 073831

स्थानः जयपुर
दिनांकः 27–08–2014

Scanned with CamScanner

चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एस–18, मंगल मार्ग, बापूनगर
जयपुर – 302015

फोन नं0 0141–2710597, 2709713
मोबाइल : 9314503966
ई–मेल – Chatterca@gmail.com

अंश धारकों हेतु लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरण पत्रों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर के 31 मार्च, 2014 को यथास्थिति संलग्न तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण पत्र तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के नकद–प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य सूचनाओं के स्पष्टीकरण की लेखा–परीक्षा की है।

वित्तीय विवरण पत्रों के लिए प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के तहत अधिसूचित लेखा मानक के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2014 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र 15/2014 दिनांक 13 सितम्बर 2014 के साथ पढ़ा जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के लिये सच्चे एवं निष्पक्ष विचार देता है। इस जिम्मेदारी के अन्तर्गत डिजाइन, क्रियान्वयन और रख–रखाव का आन्तरिक नियंत्रण से संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति शामिल है जो कि सच्चे और निष्पक्ष विचार तथा चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत बयान से मुक्त, प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरण पत्रों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकृत लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम अपनी लेखा–परीक्षा के लिए योजना एवं कार्य–निष्पादन, यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि वित्तीय विवरण किन्हीं तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हों।

एक लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य एवं वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाओं में वित्तीय विवरण पत्रों के चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के लिये गलत बयान हेतु जोखिम का आकलन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक कम्पनी के विवरण पत्रों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया डिजायन करने में कम्पनी की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियंत्रण को मानते हुए राय व्यक्त करता है लेकिन कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिये नहीं है। लेखा परीक्षा में लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगत का मूल्यांकन है साथ ही वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षा सबूत हमने प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं, हमारी लेखापरीक्षा राय में एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

Scanned with CamScanner

राय

हमारी राय में और हमारी जानकारी में सबसे अच्छा और हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त विवरण पत्र इसलिये आवश्यक तरीके से, कार्य से आवश्यक जानकारी देने के लिए और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देते हैं।

(अ) तुलन–पत्र के मामले में, 31 मार्च 2014 को यथास्थिति कम्पनी के कामकाज की स्थिति।

(ब) लाभ–हानि के विवरण पत्र में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष में कम्पनी का लाभ और

(स) नकद–प्रवाह विवरण के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी का नकद–प्रवाह

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 227 की उप–धारा (4 ए) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनीज (लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2003 (संशोधित) अनुलग्नक में, उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में निहित मामलों पर एक विवरण संलग्न करते है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (ए) हमने वे समस्त सूचनाऐं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारी लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   (ब) हमारी राय मे, जहाँ तक पुस्तकों की जाँच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा है।

   (सी) इस प्रतिवेदन द्वारा व्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण और नकद–प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   (डी) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण व नकद प्रवाह विवरण जो कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत हैं, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 (सी) में वर्णित लेखांकन–मानकों, जिस सीमा तक लागू होते हैं, की अनुपालना करते हैं और

   (इ) भारत सरकार के मामले में, कम्पनी मामलात विभाग की अधिसूचना संख्या जी एस आर 829 (इ) दिनांक 21 अक्टूम्बर 2003 के अनुसार सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (आई) (जी) की की प्रयोज्यता से छूट दी गयी है।

कृते

चतर एण्ड
चार्टर्ड एका

ह0
(राकेश चतर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 073831

स्थान– जयपुर
दिनांक– 27.08.2014

Scanned with CamScanner

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 के संबंध में राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिये निगम के लेखे 31 मार्च, 2014 हेतु

अंकेक्षण अवधि के दौरान हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा जॉच के आधार पर हम सहमत हैं, हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(1) (ए) कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का परिमाणात्मक ब्यौरा उनकी स्थिति के साथ अपना रिकार्ड सही रूप में रखा हैं।

(बी) जैसा हमें बताया गया है कि प्रबन्धकों द्वारा आलोच्य वर्ष में अपनी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल से किया गया है। इस सत्यापन में उनमें कोई भी अन्तर नहीं मिला है।

(सी) हमारी राय में एवं हमें दी गयी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों के अनुसार इस वर्ष में स्थायी सम्पत्तियों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग को नहीं बेचा गया है और इसलिए "गोइंग कन्सर्न एजम्पशन" पर कोई प्रभाव नहीं आता है।

(2) (ए) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की चल सम्पत्तियों (स्टॉक) का भौतिक सत्यापन युक्तियुक्त अन्तराल से प्रबन्धन द्वारा किया गया है।

(बी) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचनाओं व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यापार की प्रकृति को देखते हुए प्रबन्धन द्वारा भौतिक सत्यापन की जो विधि अपनाई गई है, वह युक्तियुक्त एवं पर्याप्त है।

(सी) हमारी राय में एवं हमारे द्वारा रिकार्ड्स के परीक्षण के आधार पर कापोरेशन द्वारा सॉफ्टवेयर पर सम्पूर्ण स्टॉक का रिकॉर्ड रखा हुआ है। पुस्तकों में दर्ज सूची से स्टॉक के भौतिक सत्यापन के समय कोई अंतर दृष्टिगत नहीं हुआ है।

(3) (ए) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखों के परीक्षणों के आधार पर कम्पनी ने किसी भी कम्पनी, फर्म या किसी पार्टी को न तो किसी प्रकार का ऋण (सुरक्षित एवं असुरक्षित) दिया और न ही लिया है जो धारा 301 कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर में आता हो, इसलिए धारा 3 (बी), 3 (सी) और 3 (डी) लागू नहीं है।

(इ) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखों के परीक्षणों के आधार पर कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत बनाये गये रजिस्टर में आने योग्य न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण किसी कम्पनी,

Scanned with CamScanner

फर्म या अन्य पार्टी को दिया हैं या लिया है, इसलिए बिन्दु संख्या (एफ) और (जी) लागू नहीं है।

(4) हमारी राय में एवं हमें दी गयी सूचनाओं व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार एवं इन्वेन्ट्री तथा चल/अचल सम्पत्तियों की खरीद हेतु व्यापार की प्रकृति, माल की बिक्री और सेवाओं को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था काफी सुदृढ़ है। हमारे अंकेक्षण के दौरान, आन्तरिक नियंत्रण में बड़ी कमजोरियों को दूर करने में कोई लगातार असफलता दृष्टिगत नहीं हुई।

(5) कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत कम्पनी का कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं है।

(6) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58अ और 58अअ के अध्यधीन कम्पनी ने पब्लिक से कोई धन नहीं जुटाया हैं।

(7) प्रबन्धन द्वारा दी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के आधार पर कम्पनी में प्रबन्धन द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म नियुक्त कर वर्ष के दौरान आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति लागू की हुई है।

(8) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (i) (डी) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत लेखों का संधारण हमारे व्यवसाय में मान्य नहीं किया गया है और इसलिए कम्पनी के लिए मान्य नहीं है।

(9) (ए) कम्पनी नियमित रूप से गैर–विवादित वैधानिक सरकारी बकाया जैसे भविष्य निधि, विनियोग शिक्षा एवं सुरक्षा कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सैस और अन्य वैधानिक भुगतान, समय पर नियत सरकारी महकमें में नियमित जमा करवाती रही है। हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च 2014 को देय दिनांक से 6 माह से अधिक समय की उक्त प्रकार की किसी भी गैर–विवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं था।

(बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इन्कम टैक्स, वैल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी तथा एक्साइज ड्यूटी आदि का कोई भी भुगतान किसी विवाद के कारण बकाया नहीं है फिर भी निम्नलिखित विवादित कर/ड्यूटी/सेस बकाया है:–

Scanned with CamScanner

कानून का नाम	कानून मंच का नाम जहां लम्बित है	अवधि	दावे की राशि (रू.)
सेवाकर विभाग	राजस्थान उच्च न्यायालय सीसटेट, नई दिल्ली	अगस्त 2007 सितम्बर 2007 से मार्च 2011	5,21,25,843/– 12,58,10,102/–
आबकारी विभाग	आयुक्त आबकारी विभाग	2012	273.19 लाख
आयकर विभाग	1. उच्च न्यायालय	कर निर्धारण वर्ष 2006–07	5,33,41,990/–
	2. उच्च न्यायालय	2007–08	6,70,20,550/–
	3. आई.टी.ए.टी., जयपुर बेंच बी	2008–09	9,19,86,159/–
	4. आई.टी.ए.टी., जयपुर बेंच बी	2009–10	11,78,88,170/–
	5. आई.टी.ए.टी., जयपुर बेंच बी	2010–11	26,10,31,330/–
	6. सी.आई.टी. (अपील्स) जयपुर	2011–12	9,41,66,690/–
श्रम अधिनियम	उच्च न्यायालय	2006	8.92 लाख
	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश	2009	4.37 लाख
	उच्च न्यायालय	2011	1.69 लाख
	श्रम आयुक्त, क्षतिपूर्ति, सवाई माधोपुर	2009	5.58 लाख

(10) कम्पनी को 31 मार्च, 2014 तक कोई संचित–हानि नहीं है। हमारे द्वारा अंकेक्षित वित्तीय वर्ष में कम्पनी को कोई नकद हानि नहीं उठानी पड़ी तथा ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि नहीं उठानी पड़ी है।

(11) हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय है कि कम्पनी वित्तीय संस्थाओं, बैंक या ऋण–पत्र धारकों के पुनर्भुगतान में कही भी दोषी नहीं पाई गई है।

(12) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने शेयर, डिबेन्चर्स या अन्य प्रतिभूति गिरवी रख कर कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।

(13) कम्पनी कोई चिट फण्ड/निधि/म्यूच्युअल बेनीफिट फण्ड/सोसायटी नहीं है, अतः कम्पनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर 2003 (संशोधित) के प्रावधान लागू नहीं होते है।

(14) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी शेयर, प्रतिभूति डिबेन्चर्स या अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती है।

(15) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने दूसरों के द्वारा बैंको या वित्तीय संस्थाओं से उठाए गए ऋण की कोई जमानत नहीं दी है।

Scanned with CamScanner

(16) हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया पर आधारित एवं प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने अंकेक्षण वर्ष में कोई सावधि–ऋण नहीं लिया है।

(17) हमें दिए गये स्पष्टीकरण व सूचनाओं के आधार पर तथा कम्पनी के 31 मार्च 2014 के तुलन–पत्र की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि के लिए प्राप्त की गई राशि का लम्बे समय के लिए निवेश नहीं किया गया है।

(18) अंकेक्षण प्रक्रिया पर आधारित एवं प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का कोई भी अधिमान्य आवंटन नहीं किया है।

(19) अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी का कोई डिबेंचर बकाया नहीं है।

(20) कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है।

(21) अंकेक्षण प्रक्रिया पर आधारित और हमें दी गई सूचनाओं व स्पष्टीकरणों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कम्पनी की न तो कोई जालसाजी दृष्टिगत हुई है और न ही प्रबन्धन द्वारा ऐसे प्रकरणों की कोई सूचना दी गयी।

कृते

चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ह0
(राकेश चतर)
एस–18, मंगल मार्ग
बापू नगर
जयपुर–302015, राजस्थान

स्थान– जयपुर
दिनांक– 27.08.2014

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2014 को यथास्थिति तुलन-पत्र

विवरण	नोट संख्या	चालू वर्ष के अन्त के आकड़े(रु.)		गत वर्ष के अन्त के आकड़े(रु.)	
1. इक्विटी तथा देयतायें					
(1) अंशधारकों की निधियां					
(अ) अंश पूँजी	1	20,000,000		20,000,000	
(ब) संचय व अधिशेष	2	134,301,284		85,545,748	
(स)अंश वारंट के विरूद्ध प्राप्त धन		-	154,301,284	-	105,545,748
2. अंश आवेदन राशि बकाया आवंटन					-
3. अचल देयतायें					
(अ) दीर्घकालीन उधार					
(ब) आस्थापित कर देयतायें(शुद्ध)	3	1,302,468		1,254,355	
(स) अन्य दीर्घकालीन देयतायें	4	18,555,000		19,755,000	
(द) दीर्घकालीन प्रावधान		-	19,857,468	-	21,009,355
4. चल देयतायें					
(अ) अल्पकालीन उधार					
(ब) व्यापारिक देयतायें	5	3,584,662,768		3,806,550,322	
(स) अन्य चल देयतायें	6	1,181,542,088		916,358,642	
(द) अल्पकालीन प्रावधान	7	57,133,528	4,823,338,384	16,580,588	4,739,489,552
योग			4,997,497,136		4,866,044,655
2. सम्पत्ति					
(1) अचल सम्पत्ति					
(अ) स्थायी सम्पत्ति					
(i) वास्तविक सम्पत्ति	8	14,523,538		16,817,103	
(ii) अवास्तविक सम्पत्ति		2,048,106		3,019,458	
(iii) केपीटल वर्क इन प्रोग्रेस					
(iv) विकास के अधीन अवास्तविक सम्पत्ति		-		-	
योग		16,571,644		19,836,561	
(ब) अचल विनियोग		-		-	
(स) आस्थगित कर सम्पति (शुद्ध)		-			
(द) दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम	9	10,016,316	26,587,960	10,012,686	29,849,247
2. चल सम्पत्ति					
(अ) चल विनियोग		-		-	
(ब) माल सूचियॉ	10	2,599,331,239		1,620,363,982	
(स) व्यापारिक प्राप्तियां	11	427,592		478,794	
(द) नकद एवं नकद के समतूल्य	12	2,263,742,652		3,144,389,926	
(य) अल्पकालीन ऋण व अग्रिम	13	871,462		336,322	
(र) अन्य चल सम्पति	14	106,536,231	4,970,909,176	70,626,384	4,836,195,408
योग			4,997,497,136		4,866,044,655

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणी 1 से 29
परिशिष्ट उपरोक्त से संदर्भित तथा संलग्न नोट तुलन पत्र की सम्पूर्णता के भाग के रूप में शामिल
समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मण्डल की ओर से

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
(राकेश चतर)	(शरद मेहरा)	(आर.के. सिंघल)	(इकबाल खान)	(ओ.पी. यादव)
साझेदार	महाप्रबन्धक	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
सदस्य संख्या – 073831	(वित्त एवं लेखा)			
फर्म संख्या – 005376सी				
स्थान: जयपुर				
दिनांक: 27-08-2014				

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण

विवरण	नोट संख्या	चालू वर्ष के अन्त के आंकड़े (रु.)		गत वर्ष के अन्त के आंकड़े (रु.)	
I. परिचालन से आय	16		35,393,529,352		31,221,211,142
II. अन्य आय	17		201,564,185		191,172,276
III. कुल आय (I+II)			35,595,093,537		31,412,383,418
IV. व्यय					
1. व्यापार में स्टॉक का क्रय			36,248,893,731		30,816,728,950
2. तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन, वर्क इन प्रोग्रेस तथा व्यापार में स्टॉक	18		(978967257)		(211342563)
3. कर्मचारी लाभ के खर्चे	20		92,853,089		78,999,304
4. वित्तीय लागतें			-		-
5. ह्रास व एमोरटाइजेशन व्यय	21		4,561,427		5,144,238
6. अन्य व्यय	22		121,348,226		681,181,268
कुल व्यय			35,488,689,216		31,370,711,197
V. अपवाद तथा असाधारण मद व कर से पूर्व लाभ	(III - IV)		106,404,321		41,672,221
VI. अपवाद मद–गत अवधि का व्यय/आय (शुद्ध)	23		467,144		(5646954)
VII. असाधारण मद व कर से पूर्व लाभ	(V- VI)		105,937,177		47,319,175
VIII. असाधारण मद			-		-
IX. कर से पूर्व लाभ	(VII- VIII)		105,937,177		47,319,175
X. कर का व्यय					
1. चालू कर		54,793,628		14,256,138	
2. गत अवधि का कर		-		191,637	
3. आस्थगित कर	3	48,113	54,841,741	1,361,229	15,809,004
XI. सतत परिचालन से लाभ (हानि)	(IX-X)		51,095,436		31,510,171
XII. अनिरन्तर परिचालन से कर का लाभ (हानि)					
XIII. अनिरन्तर परिचालन से कर का व्यय					
XIV. अनिरन्तर परिचालन से लाभ (हानि)	(XII-XIII)				
XV. अवधि के दौरान लाभ (हानि)	(XI+XIV)		51,095,436		31,510,171
(A) प्रस्तावित लाभांश					
प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान		2,000,000		2,000,000	
लाभांश वितरण कर हेतु प्रावधान		339,900	2,339,900	324,450	2,324,450
(B) सामान्य संचय में स्थानान्तरण			48,755,536		29,185,721
XVI प्रति इक्विटी अंश					
(अ) मूल			255.48		157.55
(ब) डिल्यूटेड			255.48		157.55

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणी 1 से 29
परिशिष्ट उपरोक्त से संदर्भित तथा संलग्न नोट तुलन पत्र की सम्पूर्णता के भाग के रूप में शामिल

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह0
(राकेश चतर)
साझेदार
सदस्य संख्या – 073631
फर्म संख्या – 005376सी
स्थान: जयपुर
दिनांक: 27–08–2014

निदेशक मण्डल की ओर से

ह0
(शरद मेहरा)
महाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)

ह0
(आर.के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

ह0
(इकबाल खान)
कार्यकारी निदेशक

ह0
(ओ.पी. यादव)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष तरीका)

(राशि लाखों में)

विवरण		31.03.12 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिये
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	असाधारण मद व कर से पूर्व शुद्ध लाभ	1,064.04	416.72
	समायोजन के लिये		
	ह्रास	45.61	51.44
	विविध व्ययों का अपलेखन	-	-
	ब्याज से आय	(1,479.55)	(1,390.82)
	लाभांश आय	-	-
	अन्य अपरिचालन आय	-	-
	स्थायी सम्पत्ति के विक्रय पर हानि(लाभ)	-	-
	विनियोग के विक्रय पर हानि (लाभ)	-	-
	वितीय व्यय	-	-
	गत वर्ष के व्यय/आय	(4.67)	49.33
	चल पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन से लाभ	**(374.57)**	**(873.33)**
	चल पूँजी में परिवर्तन के लिये लेखो में समायोजन		
	व्यापारिक देयता	(2,218.87)	11,259.58
	अन्य चल दायित्व	2,651.83	1,128.93
	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	(12.00)	-
	स्टॉक	(9,789.67)	(2,113.43)
	व्यापारिक प्राप्तियां	0.51	7.66
	अल्पकालिक ऋण व अग्रिम	(5.35)	(2.98)
	अन्य चल सम्पति	(41.60)	(185.95)
	अन्य ऋण व अग्रिम	(0.03)	60.00
	परिचालन से नकद	**(9789.75)**	**9280.48**
	चुकायें गये प्रत्यक्ष कर	(460.07)	(71.73)
	विनियोग की गतिविधियों से / (प्रयुत्त) शुद्ध नगद (ए)	**(10249.82)**	**9208.75**
बी	विनियोग गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	स्थायी सम्पतियों का विक्रय(क्रय)	(12.96)	(128.26)
	प्राप्त ब्याज	1,479.55	1,390.82
	प्राप्त लाभांश		
	स्थायी सम्पतियों के विक्रय से लाभ		
	अन्तः कारपोरेट जमा अनुदान		
	विनियाग का विक्रय(क्रय) शुद्ध	-	0.03
	विनियोग गतिविधियों से / (प्रयुक्त) से शुद्ध नगद (बी)	1,466.59	1,262.59
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अंश पूँजी निर्गम	-	-
	प्रदत्त लाभांश	(20.00)	(20.00)
	प्रदत्त लाभांश कर	(3.24)	(3.24)
	अंश निर्गमन व्यय	-	-
	विनियोग गतिविधिया से / (प्रयुक्त) शुद्ध नकद (सी)	(23.24)	(23.24)
	नगद व नगद समतुल्य मे शुद्ध बढोतरी / (कमी) (ए + बी + सी)	**(8806.47)**	**10448.10**
	नगद व नगद समतुल्य- प्रारम्भिक शेष	31,443.89	20,995.79
	नगद व नगद समतुल्य- (अन्तिम शेष)	**22,637.42**	**31,443.89**
	नगद शेष	0.89	1.93
	रास्ते में हस्तगत चैक्स सहित नगद		
	बैंको में शेष	22636.53	31,441.96
	योग	**22637.42**	**31443.89**

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मण्डल की ओर से

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
(राकेश चतर)	(शरद मेहरा)	(आर.के. सिंघल)	(इकबाल खान)	(ओ.पी. यादव)
साझेदार	महाप्रबन्धक	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
सदस्य संख्या – 073831	(वित्त एवं लेखा)			
फर्म संख्या – 005376सी				
स्थान: जयपुर				
दिनांक: 27-08-2014				

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड
31.03.2014 को वर्ष समाप्ति पर तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाते पर टिप्पणियाँ

ए. महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियाँ :

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

(i) वित्तीय विवरण अर्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत की परम्परा से और भारत में मान्य सामान्य लेखा–सिद्धांतों, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों, लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) और इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) के लेखाकंन स्तरों की अनिवार्यता, सिवाय जहाँ कहीं अन्यथा कहा गया हो, के अनुसार तैयार किये गए है।

2. लेखाकंन पद्धति :

(i) <u>आय निर्धारण</u> :

(अ) **बिक्री** : बिक्री चालान एवं माल की रवानगी राज्य के विभिन्न डिपो से सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। तत्पश्चात् बिक्री की रिपोर्ट के आधार पर, जो उपरोक्त प्रकार से जनित है, अकाउण्टिंग सॉफ्टवेरयर में प्रत्येक डिपो के लिए एक मासिक प्रविष्टि बुक कर ली जाती है। एक डिपो से दूसरे डिपो में स्थानान्तरण एवं लागू होने योग्य वैट (VAT) को बिक्री नहीं माना जाता है।

(ब) **स्थाई जमा पर ब्याज** : बैंक में स्थाई जमाओं से प्राप्त होने वाले ब्याज की गणना अर्जित पद्धति से की जाती है।

(स) **विविध प्राप्तियाँ, इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी और ड्रेन अथवा लौटाए गए माल पर मार्जिन** : माल की आपूर्ति का आर्डर (OFS) विस्तार, निरस्तीकरण, बाहरी आदेश स्थानान्तरण (Too), प्राप्तियां/निरस्तीकरण, देरी से प्राप्ति पर प्रभार (LIC) इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी और ड्रेन अथवा लौटाए गए माल पर मार्जिन इत्यादि को लेखांकित/ प्राप्ति/वसूली लिकर सोर्सिंग पॉलिसी व करार के अनुसार आपूर्तिकर्त्ताओं/ उत्पादकों के साथ अर्जित आधार पर निष्पादित किये जाते हैं, फिर भी जिनकी वसूली संदिग्ध है, वह आय ए.एस.9 के अनुसार लेखों में नहीं ली गई है।

(ii) <u>स्टॉक</u> : स्टॉक की राशि लागत (वैट राशि के अतिरिक्त) अथवा वसूली योग्य कीमत, इनमें से जो कम हो, पर आँकी जाती है। स्टॉक का मूल्य 'पहले आवे–पहले जावे' (FIFO) तरीके के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(iii) <u>अनुमानों का उपयोग</u> : भारतीय GAAP के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी, निर्णय अनुमानों और मान्यतायें बनाने के लिये प्रबन्धन की आवश्यकता है। समीक्षाधीन अवधि के अन्त में राजस्व, व्यय, सम्पत्ति और देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण की सूचना मात्रा को प्रभावित करता है। हालांकि ये अनुमान, प्रबन्धन की वर्तमान घटनाओं और कार्यवाही के सबसे अच्छे ज्ञान पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

3. स्थाई सम्पत्तियाँ एवं ह्रास :

(अ) **स्थाई सम्पत्तियाँ** :- स्थाई सम्पत्तियों का सकल ब्लॉक का मूल्य, अभिग्रहण की कीमत व सम्पत्तियों के वास्तविक उपयोग की स्थिति लाने तक के अन्य खर्चों

Scanned with CamScanner

सहित, पर बताया जाता हैं। इस प्रकार शुद्ध ब्लाक का मूल्य, सकल ब्लॉक के मूल्य में से संचित ह्रास की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर दिखाया जाता है।

(ब) ह्रास :– स्थाई सम्पत्तियों पर ह्रास की गणना कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में दी गई दरों पर घटते हुए बैलेंस पद्धति (W.D.V. Method) के अनुसार की जाती है। अतिरिक्त खरीदी गई सम्पत्तियों पर ह्रास इनकी खरीद की तिथि से गणना करते हुए लगाया जाता है।
जिन सम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य रू. 5000/– से अधिक नहीं होता है, उन पर 100% ह्रास क्रय किये गये वर्ष में ही लगा दिया जाता है।
सॉफ्टवेयर मोड्यूल के संस्थापन पर व्यय को 5 वर्षों में समान किश्तों में अपलिखित किया जाना है।

4. कार्मिक :
कॉर्पोरेशन में कार्मिक राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते है। इन कार्मिकों से संबंधित पेंशन अंशदान, भविष्य–निधि, ग्रेच्यूटी, राज्य बीमा अंशदान व अन्य अंशदान का भुगतान निगम ने संबंधित विभागों व उनके पैतृक संगठन को किया है।

5. सेवा निवृति लाभ :
निगम की नीति के अनुसार सभी कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिन्हें निगम द्वारा नियोजित नहीं किया गया है, उनके सेवानिवृति से संबंधित कोई दायित्व निगम के नहीं होंगे किन्तु राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों का निर्धारित पेंशन अंशदान राज्य सरकार के निर्देशानुसार निदेशक पेंशन को भेजा जाता है।

6. कराधान :
(अ) आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों को, यदि कोई हों, ध्यान में रखते हुए ही चालू कर–देय राशि का प्रावधान किया जाता है।

(ब) आस्थगित कराधान : कर दरें और कानूनों का उपयोग करते हुए व आय–कर लाभों के समय के अंतरों (Timing differences) के कारण आस्थगित कर तुलन–पत्र की तिथि को अधिनियत अथवा मूल रूप से अधिनियमित किये गए है। आस्थगित कर सम्पत्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब उसकी वसूली की समुचित निश्चितता हों।

7. आस्थगित राजस्व व्यय :
भवन नवीनीकरण व्यय आस्थगित राजस्व व्यय स्वीकार किये तथा इसके होने के वर्ष के साथ पाँच वर्षों में समान रूप से अपलिखित किये जाने हैं।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ :
(अ) कम्पनी द्वारा वर्तमान प्रावधानों को जब ही मान्यता दी जाती है जब कि गत तय निपटानों के फलस्वरूप यह सम्भावना हो कि निपटान करने हेतु संसाधनों के निकास की आवश्यकता होगी तथा बाध्यता राशि के लिए एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ब) आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, परन्तु उन्हें लेखा की टिप्पणियों में दिखाया जाता है। आय–कर, सर्विस टैक्स, टीसीएस, वेट आदि की विवादास्पद माँगों की आकस्मिक देयताऐं दिखाई जाती हैं। इन माँगों के

Scanned with CamScanner

भुगतान, यदि कोई हों, एडवांस के रूप में दिखाया जाता है जब तक कि इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है।

(स) आकस्मिक परिसम्पत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

9. सरकार से अनुदान :

(अ) सम्बन्धित सम्पत्ति की लागत से जिससे वे संबंधित है, को पूंजीगत खाते के अनुदान में से कम किया गया है। तुलन पत्र की तिथि को अवशेष राशि यदि हो, को चालू दायित्व मद में दर्शाया गया है।

ब. अन्य

1. कार्य विधि :

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (RSBCL) की स्थापना एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखने हेतु की गई थी। यह निगम राजस्थान राज्य में राजस्थान एक्साइज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विशेष सुविधा का उपयोग करता है, जिसके अंतर्गत निगम को राजस्थान राज्य में शराब के थोक व्यापार का एक मात्र विशेष अधिकार है। इस कार्य हेतु एक्साइज एक्ट के अनुसार इसे राजस्थान सरकार को 'प्रिविलेज फीस' का भी भुगतान करना पड़ता है। निगम की कार्यविधि लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) द्वारा वर्ष दर वर्ष बनाये जाने वाले नियमों से संचालित होती हैं। चालू वर्ष 2013–14 के लिए एल.एस.पी. नीति परिपत्र सं. RSBCL/LSP/2013-14/7894 दिनांक 28.03.2013 वर्णित है।

2. शराब की प्राप्ति एवं विक्रय की विधि :

उत्पादक/आपूर्तिकत्ताओं संबंधित स्थानों की माँग पर आधारित शराब की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव देते हैं। तत्पश्चात, उत्पादक/आपूर्तिकत्ताओं को आपूर्ति हेतु एक आदेश (OFS) जारी किया जाता है। आपूर्ति आदेश के तहत् निर्माताओं द्वारा प्रेषित माल निगम के गोदामों में रखा जाता हैं। इस स्टॉक का जोखिम और स्वामित्व निगम द्वारा आपूर्तिकत्तओं पर ही डाला जाता है, फिर भी इस स्टॉक का बीमा निगम अपने खर्चे पर कराता हैं। एक निश्चित समय की समाप्ति पर बचे हुए माल पर इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी की वसूली अथवा ड्रेन/लौटाए गए माल पर वसूली एल.एस.पी. में वर्णित दर पर की जाती है, जिसकी आय निगम के लेखों में दर्शाई गई है।

3. लेखांकन विधि :

राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित डिपो पर आपूर्ति–आदेश (OFS) के तहत माल प्राप्त किया जाता है, उसका लेखांकन संबंधित डिपो पर रास्ते में होने वाली हानियों/कमियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सॉफ्टवेयर्स पर किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (राजस्थान वैट), यदि कोई हो, तो उसे ऐसी खरीद पर राजस्थान वैट एक्ट 2003 के नियमानुसार उपयोग कर लिया जाता है, और खरीद को, राजस्थान वैट को छोडते हुए, लाभ–हानि खातें में सम्मिलित कर लिया जाता है। माल लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) के प्रस्तावित निर्देशों द्वारा वैट बीजकों के तहत बेचा जाता है, और राजस्थान वैट को छोडते हुए लाभ–हानि खाते में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह बिक्री और खरीद दोनो का लेखांकन वेट (VAT) को छोडते हुये लाभ हानि खाते में कर लिया जाता हैं, जिसके लिए राजस्थान वैट नियमों के अन्तर्गत समायोजन की माँग की गयी है। बिक्री, खरीद व स्टॉक के पृथक्–पृथक् रेकार्ड रखे जाते हैं, और संबंधित गोदामों में लेखांकित किए जाते हैं, यद्यपि वित्तीय लेखांकन और

Scanned with CamScanner

रेकार्ड जयपुर के प्रधान कार्यालय पर रखे जाते है। वर्ष के अंत में स्टाक हस्ते का मूल्याकंन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की लेखांकन विधि के बिन्दु सं. 2(ii) के अनुसार किया जाता है।

4. लेखांकन विधि व लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP)
लेखांकन विधि, माल का मालिकाना हक, आय व व्यय की मान्यता के नियम लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) में वर्णित तरीकों से भिन्न हैं। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं:–
(ए) क्रय : वर्ष 2013–14 में क्रय का लेखांकन इनवॉइस तिथि से इनवॉइस बिलों के आधार पर ही किया गया है, इस लेखांकन नीति परिवर्तन से वर्ष 2014–15 में प्राप्त स्टॉक की क्रय राशि रू. 25465854 और इनपुट वेट राशि रू. 4247583.44 वर्ष 2013–14 के दौरान दर्ज की गई है।
(बी) दि. 31.03.2014 को स्टॉक हस्ते : गत वित्तीय वर्ष की भांति वर्ष के अंत में स्टॉक हस्ते रू. 2599331239 को लेखों में लेखांकित किया गया हैं, और वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करने में सम्मिलित भी किया गया हैं।

5. इनऐक्टिव स्टॉक पेनल्टी : एल.एस.पी. के अनुसार इनऐक्टिव स्टॉक पेनल्टी राशि रूपये 39587347 निगम द्वारा वसूल किया गया।
इन्टीग्रेटेड एक्साइज मेनेजमेन्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी मॉड्यूल के अनुसार आय की गणना की गई है। एल.एस.पी. के अनुसार इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी की गणना केस बॉक्सेज (बोतलों सहित) पर की गई हैं। दिनांक 01.04.13 को स्टाक की गणना भारयुक्त औसत पद्वति से की गई हैं, इसके बाद वर्ष के दौरान स्टाक की गणना वास्तविकता के आधार पर की गई है।
(अ) (i) चालू वर्ष में 15 पार्टियों से इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी राशि 2433058.75 रूपये तथा गत वर्षों से सम्बन्धित 8 पार्टियों से राशि रूपये 444318.41 अनिश्चित आय है जिन्हें चालू वर्ष में लेखों में नहीं दर्शाया गया है जो ए.एस. 9 रेवेन्यू रिकोग्निशन से सम्बन्धित है।
(ii) मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शूगर मिल्स लि. (सप्लायर) की वित्तीय वर्ष 2013–14 की इनऐक्टिव स्टॉक पेनल्टी राशि रूपये 173115.88 (आय) को माफ करने का निर्णय निगम के संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है।

6. बिक्री, खरीद, माल का स्टॉक, अन्य आय (इनऐक्टिव स्टॉक पेनल्टी से आय, निगम का मार्जिन) का लेखा इन्टीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर जनित रिपोर्टस के आधार पर सॉफ्टवेयर (टैली) मे किया जाता हैं।

7. वर्ष 2013–14 में रू. 3.00 करोड की प्रिविलेज फीस की राशि एवं लाईसेंस फीस रू. 2,25,00,000/– तथा आवेदन फीस रू. 4,00,000/– भी राजस्थान सरकार को चुकाए है।

8. रू. 33,50,138.30 की संदिग्ध प्राप्तियों का प्रावधान निम्न प्रकार है:–
(i) वर्ष 2006–07 के रिटेलर्स से प्राप्तियाँ रू. 5,02,471.32
(ii) वर्ष 2007–08 के रिटेलर्स से प्राप्तियाँ रू. 4,87,340.70
(iii) वर्ष 2009–10 के रिटेलर्स से बकाया कम्पोजिशन टैक्स रू. 5,71,981.46
(iv) वर्ष 2007–08 के सप्लायर्स से अप्राप्त इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी रू. 10,06,987.72
(v) जब्त माल से अप्राप्त इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी रू. 1,74,113.86
(vi) सप्लायर्स से अप्राप्त इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी रू. 6,07,243.24

Scanned with CamScanner

9. बोर्ड की राय में, चालू सम्पत्तियॉ ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य, सामान्य व्यापार की स्थिति में कम से कम उस राशि के समान है, जिस पर यह दर्शाये गये हैं।

10. विविध देनदार, विविध लेनदार, ऋण एवं अग्रिम, बैंक शेष मिलान कराने व पुष्टि कराने के अधीन है।

11. कम्पनी का प्राथमिक व्यापार खण्ड विलक्षण अर्थात शराब है इसलिये उसके लेखांकन मानक 17 के सम्बन्ध में खण्ड जानकारी की जरूरत नहीं है।

12. निगम के प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित मूल्यानुसार दिनांक 31.03.2014 का स्टॉक हस्ते का मूल्यांकन लिया गया है। मूल्यांकन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी (AS-2) के अनुसार किया गया है।

13. आर.एस.बी.सी.एल तथा आ.एस.जी.एस.एम. ने दिनांक 22.06.10 को आबकारी विभाग राजस्थान सरकार मे इन्टीग्रेटेड मैनेज्ड आई.टी. सेवा प्रदान करने हेतु मैसर्स ट्राईमैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लिमिटेड से एक अनुबन्ध किया था जिसकी लागत आर.एस.बी.सी. एल तथा आर.एस.जी.एस.एम. द्वारा 80:20 के अनुपात में वहन की जायेगी। आवंटित कार्य दिनांक 30.06.2012 को पूर्ण हो गया। अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 01–07–2012 से भुगतान 60 समान किश्तों में किया जाना है।
वर्ष के दौरान संचालक मण्डल द्वारा दिये गये निर्णयानुसार मैसर्स ट्राईमैक्स आई.टी. से राशि रूपये 65.68 लाख रूपये लिक्विडीटी डेमेज के रूप में 60 किश्तों में वसूल की जानी है इसमें राशि रू. 1313604/– चालू वर्ष की है। व्यय से सम्बन्धित राशि रूपये 1313604/– आई.टी. (एफ.एम.एस.) व्यय में से कम की गयी है।

14. वर्ष के दौरान रू. 34410150 की रिफण्ड एडवाईज प्राप्त हुई है जोकि वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2009–10 से सम्बन्धित है तथा ब्याज पेटे रू. 2585418/– दर्शित है लेकिन यह राशि आयकर विभाग द्वारा बकाया डिमांड में एडजस्ट कर ली गई, जिसकी अपील दायर कर दी गई है। ब्याज की राशि अन्य आय मद में इन्ट्रेस्ट ऑन इन्कम टैक्स रिफन्ड के रूप में दर्शाई गई है।

15. वर्ष के दौरान लिकर सार्सिंग पालिसी के अनुसार आई.एम.एफ.एल./बीयर की बिक्री पर निगम का ग्रॉस मार्जिन 2 प्रतिशत से 0.33 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया है।

Scanned with CamScanner

बी. सूचनाओं के लिए संक्षिप्त विवरण

1. अंश पूँजी

विवरण	31.03.2014 को यथा स्थिति (रु.)	31.03.2013 को यथा स्थिति (रु.)
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
100 रु. प्रति शेयर 500000 इक्विटी शेयर	50,000,000	50,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
100 रु. प्रति शेयर 200000 इक्विटी शेयर	20,000,000	20,000,000
कुल	20,000,000	20,000,000

1.1 31 मार्च 2014 को कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारको का विवरण निम्नानुसार है:-

अंशधारको का नाम	31.03.2014 को यथा स्थिति		31.03.2013 को यथा स्थिति	
	धारित अंशो की संख्या	धारित अंशो का प्रतिशत	धारित अंशो की संख्या	धारित अंशो का प्रतिशत
महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	199992	100%	199992	100%

1.2 रिकन्सीलेशन के पश्चात् बचे शेयर्स की संख्या :-

विवरण	31.03.2014 को यथा स्थिति	31.03.2013 को यथा स्थिति
	धारित अंशों की संख्या	धारित अंशों की संख्या
वर्ष के शुरूआत में इक्वटी शेयर	200,000	200,000
जोड़ें : कर्मचारियों द्वारा स्टॉक ऑपशन के तहत जारी किये गये शेयर	–	–
घटायें : रद्द किये गये शेयर्स की संख्या	–	–
वर्ष के अंत में शेयर	200,000	200,000

2. संचय एवं आधिक्य

विवरण		31.03.2014 को यथा स्थिति (रु.)		31.03.2013 को यथा स्थिति (रु.)	
ए	पूंजीगत संचय		137,500		137,500
	सामान्य संचय				
बी	प्रारम्भिक शेष	85,408,248		56,222,527	
	जोडिये – वर्ष के दौरान अर्जित संचय	48,755,536	134,163,784	29,185,721	85,408,248
	लाभ हानि खाता				
	प्रारम्भिक शेष	-		-	
	जोडे–लाभ हानि खाते से स्थानान्तरित	51,095,436		31,510,171	
सी	घटाइये–सामान्य संचय में स्थनान्तरित	48,755,536		29,185,721	
	घटाइये–अंतरिम लाभांश	-		-	
	घटाइये–प्रस्तावित लाभांश	2,000,000		2,000,000	
	घटाइये– लाभांश का वितरण कर	339,900	-	324,450	-
	योग		134,301,284		85,545,748

Scanned with CamScanner

3 अस्थगित कर

विवरण	31.03.2014 को यथा स्थिति (रु.)	31.03.2013 को यथा स्थिति (रु.)
आस्थगित सम्पत्ति कर / (आस्थगित दायित्व कर)		
प्रारम्भिक शेष	(1254355)	106874
जोड़ें : सम्पत्ति / (दायित्व)	(48113)	(1361229)
कुल	(1302468)	(1254355)

4 अन्य दीर्घकालीन दायित्व

	विवरण	31.03.2014 को यथा स्थिति (रु.)	31.03.2013 को यथा स्थिति (रु.)
ए	सुरक्षित ऋण		
बी	असुरक्षित		
	मैसर्स ट्राईमैक्स आई.टी. द्वारा जमा प्रतिभूति	4,105,000	4,105,000
	राशि सप्लायर्स की जमा प्रतिभूति राशि	14,450,000	15,650,000
	कुल	18,555,000	19,755,000

5 व्यापारिक देयतायें

विवरण	दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति	दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति
(ए) माल के लिये लेनदारी		
लेनदार–स्थायी सम्पति	8,521,949	8,367,459
विविध लेनदार–सप्लायर्स /डिस्टलरीज	3,545,061,175	3,777,226,635
(बी) खर्चो के लिये लेनदार		
विविध लेनदार	31,079,644	20,956,228
कुल लेनदार	3,584,662,768	3,806,550,322

Scanned with CamScanner

6 अन्य चालू लेनदारियां

विवरण		दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति (रु.)	दिनांक 31.03.11 को यथास्थिति (रु.)
(ए)	वैधानिक दायित्व		
	टी.सी.एस. की देयता	1,118,642	1,152,849
	वेट की देयता	768,795,257	837,391,763
	सर्विस टैक्स की देयता	-	89,772
	वेण्ड फीस	-	456,937
	परमिट फीस	-	1,152,166
	स्पेशल वेण्ड फीस	-	1,437,779
	टी.सी.एस	-	20,241,248
(बी)	सेवा प्रदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि	1,214,832	874,995
(सी)	अन्य बकाया दायित्व		
	रिटेलर्स से अग्रिम	397,551,101	8,069,500
	रिटेलर्स नियंत्रित खाता	6,564,228	37,777,702
	बैंक ओवर ड्राफ्ट	4,643,545	7,713,931
	श्रम क्षतिपूर्ति आयुक्त, करौली	241886	—
	सीसीटीवी कैमरे का अनुपयोगी अनुदान	1,412,597	—
योग		**1,181,542,088**	**916,358,642**

1. वर्ष के दौरान श्रम आयुक्त, करौली के निर्णयानुसार कार्मिक को देय राशि रु. 241886/– डी.पी. लेबर से वसूली योग्य है जिसे ऋण व अग्रिम मद में दर्शाया गया है। (गत वर्ष – शून्य)
2. वर्ष के दौरान राज्य सरकार से सीसीटीवी कैमरे खरीदने हेतु राशि रु. 38,04,000/– का अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें से सीसीटीवी कैमरे खरीदने में राशि रु. 2391503/– व्यय किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार को देय राशि रू. 1412597/– अनुपयोगी रहे जिसे चालू दायित्व में दर्शा दिया गया है। (गत वर्ष–शून्य)

7 अल्पकालीन प्रावधान

विवरण		दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति (रु.)	दिनांक 31.03.11 को यथास्थिति (रु.)
(ए)	प्रत्यक्ष कर के लिये प्रावधान	54,793,628	14,256,138
(बी)	लाभांश एंव लाभांश कर के लिये प्रावधान	2,339,900	2,324,450
योग		**57,133,528**	**16,580,588**

Scanned with CamScanner

नोट :– 8

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग
स्थायी सम्पत्तियाँ

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	विवरण	सकल समूह				ह्रास/परिशोधन					शुद्ध समूह	
		1 अप्रेल 2013 को यथास्थिति	अभिवृद्धि	कटौती	31 मार्च 2014 को यथास्थिति	31 मार्च 2013 तक	चालू वर्ष के लिए	कटौती (गत वर्ष से संबंधित)	इस वर्ष की कटौती	31 मार्च 2014 को यथास्थिति	31 मार्च 2014 को यथास्थिति	31 मार्च 2013 की यथास्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(अ)	टेन्जिबल सम्पत्ति											
1	कार्यालय उपकरण											
(ए)	टेलीफोन उपकरण	29,740	-		29,740	22,843	960			23,803	5,937	6,897
(बी)	मोबाईल उपकरण	264,700	58,200		322,900	150,062	17,679			167,741	155,159	114,638
(सी)	फोटोकॉपी मशीन	130,639	-		130,639	80,765	6,938			87,703	42,936	49,874
(डी)	फैक्स मशीन	33,228	7,800		41,028	21,356	2,564			23,920	17,108	11,872
(इ)	आर.ए.एस.का संस्थापन	95,000			95,000	93,329	668			93,997	1,003	1,671
(एफ)	पेपर शेडर मशीन	-	7,500	-	7,500	-	192			192	7,308	-
(जी)	यूपीएस (बैटरियाँ)	960,568	345,985	-	1,306,553	739,831	161,500			901,331	405,222	220,737
2	कम्प्यूटर उपकरण						-					
(ए)	सर्वर का संस्थांपन	254,000			254,000	199,437	21,825			221,262	32,738	54,563
(बी)	कम्प्यूटर्स	5,005,548	338,099	-	5,343,647	3,574,699	682,851			4,257,550	1,086,097	1,430,849
(सी)	लैपटॉप	1,123,824	-		1,123,824	687,646	174,471			862,117	261,707	436,178
3	फर्नीचर एण्ड फिक्चर्स	4,234,971	270,972	-	4,505,943	3,281,021	355,622			3,636,643	869,300	953,950
4	कम्प्यूटर ऐसेसरीज	1,293,954	42,407	-	1,336,361	1,132,348	95,185			1,227,533	108,829	161,606
5	कम्प्यूटर प्रिन्टर	521,657	88,225	-	609,882	76,471	195,482			271,953	337,929	445,186
6	डी.जी.सेट	850,684			850,684	507,271	47,769			555,040	295,644	343,413

Scanned with CamScanner

7	विद्युत उपकरण	635,713	12,900	-	648,613	455,179	33,732			488,911	159,702	180,534
8	अग्नि सुरक्षा उपकरण	723,596	86,085	-	809,681	509,196	124,891			634,087	175,594	214,400
9	हैण्ड प्लेट लॉरी	47,960	-		47,960	34,555	2,426			36,981	10,979	13,405
10	ब्राडबैण्ड का संस्थापन	50,119			50,119	48,647	589			49,236	883	1,472
11	कार	2,468,611	-		2,468,611	814,665	428,207			1,242,872	1,225,739	1,653,946
12	कार्यालय साज सामान	259,502	-		259,502	192,313	12,161			204,474	55,028	67,189
13	एयर कन्डीशनर्स	273,687			273,687	203,296	12,741			216,037	57,649	70,391
14	वी.सेट	1,333,218			1,333,218	1,284,104	19,646			1,303,750	29,468	49,114
15	डाटा सेन्टर	8,660,178	-	-	8,660,178	5,763,808	1,158,548		-	6,922,356	1,737,822	2,896,370
16	वाटर कूलर	36,500	27,675		64,175	6,664	22,866			29,530	34,645	29,836
17	रीको से भूमि	7,409,012	-		7,409,012	-				-	7,409,012	7,409,012
18	सी.सी.टी.वी. कैमरा		2,391,503	2,391,403	100	-	0			-	100	
(ब)	इन्टेन्जिबल सम्पति										14,523,538	16,817,103
1	सॉफ्टवेयर का संस्थापन	745,583		-	745,583	720,492	10,036			730,528	15,055	25,091
2	सॉफ्टवेयर मोड्यूल का संस्थापन	4,848,826	10,562	-	4,859,388	1,854,459	971,878	-		2,826,337	2,033,051	2,994,367
			-			-	-			-	2,048,106	3,019,458
	कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस	-		-	-	-	-			-	-	-
योग		42,291,018	3,687,913	2,391,403	43,587,528	22,454,457	4,561,427	-	-	27,015,884	16,571,644	19,836,561
गत वर्ष		28,837,042	14,953,475	1,499,499	42,291,018	17,395,312	5,144,238	340,784	425,877	22,454,457	19,836,561	

1. वर्ष के दौरान निगम द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे क्रय करने हेतु राज्य सरकार से राशि रू. 38,04,000 का अनुदान प्राप्त हुआ है जिसमें से राशि रू. 2391503/– के सी.सी.टी.वी. कैमरे क्रय किये गये। वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त किये गये अनुदान में से राशि रू. 2391403 चार्ज किये गये हैं तथा समान राशि की कटौती दर्शायी गयी है तथा शेष राशि रू. 100/– को ए.एस. 12 के अनुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे की सामान्य राशि के रूप में दर्शाया गया है।
2. वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सॉफ्टवेयर मॉडयूल पर ह्रास 26 ए.एस. के अनुसार 20 प्रतिशत परिशोधित किया गया।
3. लेखा मानक–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की खराबी पर हानि के लिये प्रावधान आवश्यक नहीं है जैसाकि प्रबन्धन की राय में एएस–28 के संदर्भ में कम्पनी की परिसम्पत्तियों में कोई खराबी नहीं है।

Scanned with CamScanner

9. दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

विवरण	दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति (रु.)	दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति (रु.)
(ए) पूँजी अग्रिम	12,686	12,686
(बी) प्रतिभूति जमा – टेलीफोन	3,630	-
बिजली विभाग, कोटा		
(सी) अन्य ऋण व अग्रिम		
अग्रिम आयकर	10,000,000	10,000,000
आयकर (अपील के विरूद्ध)	**10,016,316**	**10,012,686**
योग्य		

उपरोक्त आयकर में वित्तीय वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित राशि रू. 50.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2007–08 से सम्बन्धित राशि रू. 25.00 लाख, 2008–09 से सम्बन्धित राशि रू. 25.00 लाख, आयकर विभाग में अपील के विरूद्ध जमा कराये गये हैं।

10 स्टाक

विवरण		दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति (रु.)	दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति (रु.)
(ए)	व्यापार हेतु स्टॉक	2,573,865,385	1,609,126,634
(बी)	स्टॉक इन ट्रांजिट	25,465,854	11,237,348
योग		**2,599,331,239**	**1,620,363,982**

(i) व्यापार में स्टॉक का मूल्य (व्यापार के लिये लिया गया माल) मूल्यांकन लागत अथवा वसूल होने वाली कीमत जो भी दोनो में कम हो, पर लिया गया।

11. व्यापारिक प्राप्तियॉ

विवरण		दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति (रु.)		दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति(रु.)
भुगतान के लिये देय तिथि से 6 माह की अवधि से अधिक की बकाया				
(ए) सुरक्षित, अच्छी रकम				
(बी) असुरक्षित, अच्छी रकम		427,592		478,794
(सी) संदिग्ध				
रिटेलर्स जिनका डेबिट शेष है	3,350,138		3386083	
घटाइये–संदिग्धता के लिये प्रावधान	-3,350,138	-	-3386083	-
अन्य				
(ए) सुरक्षित, अच्छी रकम				
(बी) असुरक्षित, अच्छी रकम				
योग		**427,592**		**478,794**

Scanned with CamScanner

12. नकद एवं नकद के समतुल्य

	विवरण	दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति (रु.)	दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति (रु.)
(ए)	बैंक शेष	19,829,906	10,787,877
(बी)	नगद हस्तस्थ	-	1,246
(सी)	इम्प्रेस्ट विद डिपो मैनेजर्स	89,167	192,153
(डी)	बैंक में स्थाई जमा	2,243,823,579	3,133,408,650
	योग	**2,263,742,652**	**3,144,389,926**

बैंक शेष में सम्मिलित है:–

(1) 12 माह से अधिक अवधि की परिपक्व स्थायी जमा राशि शून्य (गत वर्ष –शून्य)

13. अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

विवरण	दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति(रु.)	दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति(रु.)
(अ) सम्बन्धित पार्टियों से ऋण व अग्रिम		
(ए) सुरक्षित, अच्छी रकम		
(बी) असुरक्षित अच्छी रकम		
(सी) स्टाफ को अग्रिम	17,263	1,283
(ब) अन्य		
आबकारी विभाग	105,650	25,650
अन्य	748,549	309,389
योग	871,462	336,322

(i) उपर्युक्त अल्पावधि ऋण व अग्रिम असुरक्षित व अच्छी रकम है।

(ii) उपर्युक्त सभी अल्पावधि ऋण व अग्रिम गैर सम्बन्धित पार्टियों से है।

(iii) श्रमआयुक्त के आदेशानुसार कार्मिक को क्षतिपूर्ति राशि रु. 5,12,572 जो डी.पी. लेब से वसूलीयोग्य हैं तथा जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के आदेशानुसार राशि रु 168795/– उनको जमा कराये गये हैं, में सम्मिलित हैं।

14. अन्य चालू सम्पतियां

	विवरण	दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति(रु.)	दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति(रु.)
(ए)	स्थायी जमा पर अर्जित ब्याज	25,535	67,244
(बी)	पूर्वदत्त व्यय	27,038,664	26,874,859
(सी)	टी.डी.एस. रिफण्डेबल	46,505,077	42,506,212
(डी)	वैट रिफण्डेबल	407,745	428,069
(इ)	अग्रिम आयकर	3,25,00,000	7,50,000
(एफ)	अन्य	59,210	–
	योग	**106,536,231**	**70,626,384**

(i) उपरोक्त अल्पावधि ऋण व अग्रिम असुरक्षित व अच्छी रकम है।

(ii) उपरोक्त सभी अल्पावधि ऋण व अग्रिम गैर सम्बन्धित पार्टियों से है।

Scanned with CamScanner

15. सम्भावित देयतायें एवं वादे (जो दर्ज नही किये गये हो)

	विवरण	दिनांक 31.03.14 को यथास्थिति (रु.)	दिनांक 31.03.13 को यथास्थिति (रु.)
(i)	सम्भावित देयतायें		
	(ए) कम्पनी के विरूद्ध दायित्व जो ऋण के रूप में मान्य नही किये हो	89,28,45,834	971,918,749
	(बी) गारन्टीज		
	(सी) अन्य राशि जिनके लिए कम्पनी की सम्भावित देयता हो		
(ii)	वादा	-	-
	(ए) पूँजीगत ठेको की सम्भावित राशि जिसको दर्ज नही किया गया		
	(बी) अंशो व आशिंक प्रदत्त अन्य विनियोग पर मांग नही की गयी राशि की देयता		
	(सी) अन्य वादा		
	योग	89,28,45,834	971,918,749

(ए) दावे स्वीकार नही किए गए और प्रावधान नही किया गया : एक संवेदक सुश्री अनु गुप्ता द्वारा मॉगी गई रू. 8.92 लाख की दावा राशि का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के पास विचाराधीन है।

(बी) (i) आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी विभाग जयपुर–1 ने कारण बताओं नोटिस जारी कर सर्विस टैक्स केटेगरी ओक्जिलियरी सर्विसेज के अन्तर्गत अगस्त 2007 तक के सकल मर्जिन पर रू. 5,21,25,843/– की मॉग की है। इस आदेश के तहत निगम ने सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की जिसका निर्णय आयुक्त केन्द्रीय आबकारी विभाग के पक्ष में हुआ। निगम ने एक अपील सी.इ.एस.टी.ए.टी. के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच में दायर की जो स्वीकार कर ली गई तथा मांग पर रोक लगा दी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(ii) सितम्बर 2007 से मार्च 2011 तक की अवधि के लिये उपार्जित सकल मार्जिन पर सेवा कर राशि रू. 12,58,10,102/– का कारण बताओ नोटिस तथा मांग के अतिरिक्त ब्याज/शास्ति अतिरिक्त देय होगी। आर.एस.बी.सी.एल. द्वारा दायर की गयी अपील पर केन्द्रीय आबकारी आयुक्त, जयपुर–I ने मामला आर. एस.बी.सी.एल. के विरूद्ध निर्णित किया और आयुक्त द्वारा उठायी गयी मांग राशि के विरूद्ध आर.एस.बी.सी.एल. ने सी.इ.एस.टी.ए.टी., नई दिल्ली में अपील दायर की। मामला लम्बित है और मामले की एप्लीकेविलिटि के लिये लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(सी) आर.एस.बी.सी.एल. द्वारा राजस्थान के समस्त डिपोज के माध्यम से एकत्रित की गयी साप्ताहिक परमिट फीस/वेण्ड फीस के देरी से भुगतान के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर की महालेखाकार अंकेक्षण के आधार पर राशि रू. 273.19 लाख की मांग उठायी गयी जिसके लिये वित्त (आबकारी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.04.2006 के अनुसार राशि की उठायी गयी मांग गलत होने के कारण आर. एस.बी.सी.एल. ने राजस्थान आबकारी एक्ट 1950 की धारा 30एए के अन्तर्गत आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर को ब्याज की माफी हेतु निवेदन किया गया है।

Scanned with CamScanner

(डी) आयकर

(i) कर निर्धारण वर्ष 2006-07:- प्रिविलेज फीस व्यय की राशि को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानते हुए एवं इस व्यय को अस्वीकृत करते हुए आय कर विभाग ने कर–निर्धारण वर्ष 2006–07 के अन्तर्गत रू. 5,33,41,990/– की मॉग की है किन्तु आयकर आयुक्त (अपील)–II ने दायर अपील में इसका निर्णय निगम के पक्ष में दिया और रू. 5,33,41,990/– की राशि की मॉग समाप्त कर दी। इस पर आयकर विभाग ने आई.टी.ए.टी. जयपुर बैंच 'बी' जयपुर के यहॉ इसकी अपील की। आई.टी.ए.टी. ने आयकर विभाग की इस अपील को खारिज कर दी और निगम के पक्ष में निर्णय किया। निगम ने रू. 50.00 लाख सम्बन्धित वर्ष के लिए आयकर विभाग में जमा करा दिए है। आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील की है। मामला माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेन्च में लम्बित है।

(ii) कर निर्धारण वर्ष 2007-08:- कर निर्धारण वर्ष 2007–08 में प्रिविलेज फीस को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानते हुए एवं इसे अस्वीकृत करते हुए कर–निर्धारण आथोरिटी ने रू. 6,70,20,550/– की मॉग की किन्तु आयकर आयुक्त (अपील) ने दायर अपील में प्रिविलेज फीस को राजस्व व्यय मानते हुए निगम के पक्ष में फैसला दिया। निगम तथा आयकर विभाग दोनो ने अलग अलग आधारो पर आई.टी.ए.टी. जयपुर में अपील दायर की है। आई.टी.ए.टी., जयपुर ने आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी तथा निगम के पक्ष में फैसला दिया फिर भी आयकर विभाग एवं निगम दोनो ने अलग अलग आधारो पर माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर में अपील दायर की है।निगम ने सम्बन्धित वर्ष के लिए रू. 25.00 लाख आयकर विभाग में जमा करा दिए है। मामला माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेन्च में लम्बित है।

(iii) कर निर्धारण वर्ष 2008-09:- कर निर्धारण वर्ष 2008–09 में प्रिविलेज फीस को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानते हुए व इसे अस्वीकार करते हुए कर– निर्धारण आथोरिटी ने रू. 9,19,86,159/– की मॉग की है। आयकर आयुक्त(अपील) ने निगम के पक्ष में फैसला दिया फिर भी निगम तथा आयकर विभाग दोनो ने अलग अलग आधारो पर आई.टी.ए.टी. जयपुर बेन्च–बी में अपील दायर की हैं। निगम ने सम्बन्धित वर्ष के लिए रू. 25.00 लाख आयकर विभाग में जमा करा दिये हैं। मामला माननीय आई.टी.ए.टी., जयपुर बेन्च में लम्बित है।

(iv) कर निर्धारण वर्ष 2009-10:- कर निर्धारण वर्ष 2009–10 में प्रिविलेज फीस को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानते हुए व इसे अस्वीकार करते हुए पुनः राशि रू. 11,78,88,170/– की मॉग की है। निगम ने आयकर आयुक्त (अपील) जयपुर को अपील दायर की है। आयकर आयुक्त (अपील) ने निगम के पक्ष में फैंसला दिया फिर भी निगम तथा आयकर विभाग दोनों ने अलग–अलग आधारों पर आई.टी.ए.टी. जयपुर बेन्च–बी में अपील दायर की है। निगम परमिट फीस, सरचार्ज तथा अनरिकन्साईल्ड बैंक बैलेन्स अपलेखन के सम्बन्ध में अपील में गया है। मामला माननीय आई.टी.ए.टी., जयपुर बेन्च में लम्बित है।

(v) कर निर्धारण वर्ष 2010-11:- कर निर्धारण वर्ष 2010–11 मे प्रिविलेज फीस को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानते हुए व इसे अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आथोरिटी ने रू. 26,10,31,330/– की मॉग की है। निगम ने आयकर आयुक्त (अपील) जयपुर को अपील दायर की है। आयकर आयुक्त (अपील) ने निगम के पक्ष में फैंसला दिया फिर भी निगम तथा आयकर विभाग दोनों ने अलग–अलग आधारों पर

Scanned with CamScanner

आई.टी.ए.टी. जयपुर बैंच–बी में अपील दायर की है। निगम परमिट फीस, सरचार्ज तथा अनरिकन्साईल्ड बैंक बैलेन्स अपलेखन के सम्बन्ध में अपील में गया है। मामला माननीय आई.टी.ए.टी., जयपुर बेन्च में लम्बित है।

(vi) **कर निर्धारण वर्ष 2011–12:-** कर निर्धारण वर्ष 2011–12 में प्रिविलेज फीस को पूंजीगत व्यय की प्रकृति का मानते हुए व इसे अस्वीकार करते हुए पुनः राशि रु. 94166990/– (गत वर्ष की पुनर्भरण राशि के समायोजन के पश्चात्) की मांग की है। निगम ने सीआईटी को अपील दायर की है और मामला लम्बित है।

(ई) एक राजस संघ तथा एक पंचायत राज प्रत्येक से एक कार्मिक का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (वेतन नियम 2008) के अनुसार लेखा पुस्तको मे दर्ज नहीं किया गया हैं। इनके पैतृक विभाग द्वारा ऐसा नही करने के कारण संबंधित विभाग में नहीं किया गया है।

(एफ) डेमरेज गणना मॉड्यूल चार्जेज राशि रू. 1.00 लाख जिसे मैसर्स ट्राईमैक्स आई.टी. इन्फ्रास्टक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा नहीं गया जोकि उनके द्वारा ही तैयार किया गया था, मामला विचाराधीन है।

(जी) लेखा पुस्तको में निम्न कोर्ट केसो के दायित्यों को लेखांकित नही किया गया है:–

(i) श्रीमती सरस्वती देवी ने अपने पति की मृत्यु के मुआवजे के लिए श्रम आयुक्त सवाई माधोपुर के समक्ष निगम के विरूद्व राशि रू. 5.58 लाख का वाद दायर किया है।

(ii) मैसर्स राहुल बटाला (खुदरा विक्रेता) ने अतिरिक्त सिविल जज, कोटा के समक्ष अपनी बकाया राशि रु. 4.37 लाख निगम से लेने हेतु निगम के विरूद्व वाद दायर किया है।

(iii) सवाई माधोपुर डिपो के गोदाम किराये के लिए किया गया दावा राशि रू. 1.69 लाख हेतु जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय श्रीमती मुन्नी देवी के पक्ष में दिया गया। निगम ने इसकी अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में दायर की है। निगम द्वारा जिला न्यायाधीश सवाईमाधापुर को निर्णयानुसार राशि रू. 1,68,795/– जमा कराये हुए हैं।

16. परिचालन से आय

विवरण		वित्तीय वर्ष 2013–14 (रु.)	वित्तीय वर्ष 2012–13 (रु.)
(ए)	उत्पादों की बिक्री	35,393,529,352	31,221,211,142
	योग	35,393,529,352	**31,221,211,142**

Scanned with CamScanner

17 अन्य आय

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु.)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु.)
(ए)	बैंक में जमाओं पर ब्याज	147,955,273	139,080,018
(बी)	इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी	39,587,347	42,851,635
(सी)	अन्य अपरिचालन आय	11,436,147	7,903,511
(डी)	एन.एस.सी. पर ब्याज	-	2,061
(इ)	आई.टी. रिफण्ड पर ब्याज	2,585,418	1,335,051
	योग	201,564,185	191,172,276

18 स्टॉक में परिवर्तन

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु)
(ए)	स्टॉक इन ट्रेड	(978967257)	(211342563)
	योग	(978967257)	(211342563)

19. प्रारम्भिक क्रय, विक्रय एवं अन्तिम स्टॉक का विवरण-

प्रारम्भिक क्रय, विक्रय एवं अन्तिम स्टॉक की परिणात्मक सूचनाः -

व्यापारिक माल-

विवरण	माल का प्रकार	मात्रा (बोतलो में)	राशि (रू. में)
प्रारम्भिक स्टॉक	आई.एम.एफ.एल / एफ.एम.एफ.एल	13,713,019	1,620,363,982
	बीयर	10,132,490	
क्रय	आई.एम.एफ.एल / एफ.एम.एफ.एल	380,632,864	36,248,893,731
	बीयर	268,009,283	
विक्रय	आई.एम.एफ.एल / एफ.एम.एफ.एल	372,871,729	35,393,529,352
	बीयर	261,287,939	
अन्तिम स्टॉक	आई.एम.एफ.एल / एफ.एम.एफ.एल	21,474,154	2,573,865,385
	बीयर	16,853,834	
मार्गस्थ स्टॉक	आई.एम.एफ.एल / एफ.एम.एफ.एल	101,000	25,465,854
	बीयर	379,405	

20. कर्मचारी लाभ के खर्चे

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु)
(ए)	वेतन एवं मजदूरी	84,797,720	72,402,060
(बी)	बोनस एवं एक्सग्रेशिया	1,352,400	1,343,368
(सी)	पेन्शन अंशदान	4,631,373	3,950,532
(डी)	चिकित्सा व्यय पूनर्भरण	1,881,457	1,303,344
(इ)	स्टाफ वेलफेयर व्यय	172,150	-
(एफ)	न्यूज पेपर व्यय	17,989	-
	योग	92,853,089	78,999,304

21. मूल्य ह्रास व एमोरटाईज लागत

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु)
(ए)	मूल्य ह्रास	4,561,427	5,144,238
	योग	4,561,427	5,144,238

Scanned with CamScanner

22. अन्य व्यय

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु.)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु.)
ए	**विक्रय व वितरण व्यय**		
	यात्रा व्यय	418,368	267,006
	मानदेय	83,500	84,000
	योग (अ)	501,868	351,006
बी	**सामान्य व प्रशासनिक व्यय**		
	किराया	25,521,975	21,444,401
	लेखांकन सेवा व्यय	725,332	653,447
	सुरक्षा पर व्यय	16,661,938	13,900,500
	आई.टी. सेवाओं पर व्यय	3,352,303	3,242,270
	संविदा कार्मिकों/वाहन चालकों के भुगतान पर व्यय	363,871	677,009
	कम्प्यूटर में उपयोग की सामग्री	65,404	63,379
	आतिथ्य सत्कार व्यय	215,647	143,909
	बिजली एवं पानी व्यय	1,439,060	1,331,801
	प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी व्यय	2,291,262	1,934,505
	पोस्टेज एवं कोरियर पर व्यय	107,944	101,571
	टेलीफोन व्यय	1,686,064	1,734,466
	बैंक चार्जेज	3,528	8,961
	प्लांटेशन व नर्सरी व्यय	40,383	208,000
	कार्यालय व्यय	1,601,019	1,808,499
	वैधानिक अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	133,484	121,349
	वैधानिक अंकेक्षकों का यात्रा व्यय	23,225	25,125
	टैक्स अंकेक्षण फीस	29,663	26,966
	प्रोफेशनल व्यय	1,307,215	897,675
	विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार	2,419,079	1,013,465
	विधिक शुल्क	295,137	742,542
	बीमा व्यय	4,331,586	1,015,233
	वाहन रख–रखाव के व्यय	1,265,948	1,231,845
	कार्यालय साज–सज्जा रखरखाव व्यय	241,927	102,479
	राज्य सरकार को प्रिविलेज फीस	30,000,000	190,000,000
	राज्य सरकार को लाईसेन्स फीस	22,500,000	437,890,000
	यातायात व्यय	59,179	28,460
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	482,405
	लाइसेंस फीस पर ब्याज	3,520,828	-
	वेट पर ब्याज	243,357	-
	आवेदन शुल्क	400,000	-
	योग (ब)	120,846,358	680,830,262
	योग (अ+ब)	121,348,226	681,181,268

Scanned with CamScanner

23. (ए) गत वर्षों का समायोजन (शुद्ध)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु.)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु.)
आय		
बिक्री	-	-
अन्य आय	3,535	7,213,503
	3535	7213503
व्यय		
क्रय	-	-
प्रशासनिक, सामान्य व्यय	470679	1446021
ब्याज	0	196231
ह्रास	0	(85093)
	470679	1557159
शुद्ध डेबिट/(क्रेडिट) का योग	467144	(5,656,344)

(बी) असाधारण मद

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु.)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु.)
अग्नि से हानि	-	9,390
योग (ए + बी)	467144	(5646954)

24. अंकेक्षको को भुगतान

विवरण		वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु.)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु.)
(ए)	वैधानिक अंकेक्षण के लिये	133,484	121,349
(बी)	टैक्स अंकेक्षण के लिये	29,663	26,966
(सी)	अन्य सेवा के लिये	-	-
(डी)	पुर्नभरण खर्चे	23,225	25,125

25. खण्ड रिपोर्टिंग:

कम्पनी के कारोबार की गतिविधि एकल खण्ड पर आधारित है उदाहरणार्थ शराब की व्यापारिक गतिविधियॉ और बिक्री काफी हद तक घरेलू बाजार में की जाती है कम्पनियों द्वारा निर्धारित (लेखांकन मानक) नियम 2006 के अनुसार लेखांकन मानक (एएस) 17 "खण्ड रिपोर्टिंग" के रूप में प्रकटीकरण लागू नहीं है। हालांकि इसका बेलेन्सशीट एवं लाभ–हानि लेखों के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं है।

Scanned with CamScanner

27. अकाउंटिंग स्टेण्डर्ड 20 के अनुसार मूल एवं डिल्यूटेड प्रति अंश आय (इ.पी.एस.) की गणना कम्पनी (अकाउंटिंग स्टेंण्डर्ड) अधिनियम 2006 के अनुसार "प्रति अंश आय"

	वित्तीय वर्ष 2013-14 (रु.)	वित्तीय वर्ष 2012-13 (रु.)
कर के पश्चात लाभ (रू. लाखो में)	48,755,536	29,185,721
बकाया के शेयरों की भारित औसत संख्या समायोजित		
मूल (लाखों में)	200,000	200,000
डिल्यूटेड (लाखों में)	200,000	200,000
प्रति अंश आय (वास्तविक मूल्य 100 रू. प्रति शेयर)		
मूल (रूपये)	243.78	145.93
डिल्यूटेड (रूपये)	243.78	145.93

27 कम्पनियों द्वारा उल्लेखित (लेखांकन मानक) नियम 2006 में लेखांकन मानक 18 (ए. एस. 18) "संबंधित पार्टियों का खुलासा" के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ एएस–18 में पारिभाषित के अनुरूप लेन देन का प्रकटीकरण नीचे दिये जाते है:–

(i) सम्बन्धित पक्षों की सूची व सम्बन्ध–

सम्बन्धित पक्ष का नाम	सम्बन्ध
श्री ओ.पी. यादव	प्रबन्ध निदेशक
श्री दिनेश कुमार	पूर्व प्रबन्ध निदेशक
श्री इकबाल खान	कार्यकारी निदेशक
श्री श्रवण साहनी	पूर्व कार्यकारी निदेशक
श्री अनूप खींची	पूर्व कार्यकारी निदेशक
श्री चेतन देवड़ा	पूर्व कार्यकारी निदेशक

(ii) अवधि के दौरान सम्बन्धित पक्षो के साथ व्यवहार:–

क्र. सं.	लेनदेन का स्वरूप	होल्डिंग कम्पनी	खास प्रबन्धन कर्मी	सहायक कम्पनी	एसोसियेट्स	योग	31.03.14 को बकाया
ए: लाभ हानि लेखा							
1	मानदेय		17,500			17,500	3,065
2	पारिश्रमिक		1,066,139			1,066,139	144,716
3	यात्रा भत्ते		104,265			104,265	-
4	अन्य भत्ते		87,444			87,444	44,284
बी: तुलन पत्र							
1	मानदेय						3,065
2	पारिश्रमिक						
3	यात्रा भत्ते						144,716
4	अन्य भत्ते						-
सी: तुलन पत्र के अलावा मद							44,284

Scanned with CamScanner

28.
व्यापारिक देयताओं में छोटे एवं मध्यम औद्योगिक उपक्रमों की बकाया सम्मिलित हैं। यहां कोई भी छाटे औद्योगिक उपक्रम जिसकी एक लाख एवं उससे अधिक की देयता तथा 30 दिन से अधिक की बकाया नही है।

29.
गत वर्ष के आंकड़ो को, जहा आवश्यक समझा गया हैं, वहां पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतर एण्ड चतर
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह0
(राकेश चतर)
साझेदार
सदस्य संख्या – 073831
फर्म संख्या – 005376सी
स्थान: जयपुर
दिनांक: 27–08–2014

निदेशक मण्डल की ओर से

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
(शरद मेहरा)	(आर.के. सिंघल)	(इकबाल खान)	(ओ.पी. यादव)	
महाप्रबन्धक	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	
(वित्त एवं लेखा)				

Scanned with CamScanner

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का उत्तर (2013-14)

	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	उत्तर
(i)	समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 के संबंध में राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लि. के सदस्यों के लिये निगम के लेखे 31 मार्च, 2014 हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा जॉच के आधार पर हम सहमत हैं, हम रिपोर्ट देते हैं कि:	
(ए)	कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का परिमाणात्मक ब्यौरा उनकी स्थिति के साथ अपना रिकार्ड सही रूप में रखा हैं।	कोई टिप्पणी नही।
(बी)	जैसा हमें बताया गया है कि प्रबन्धकों द्वारा आलोच्य वर्ष में अपनी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल से किया गया है। इस सत्यापन में उन्हें कोई भी अन्तर नहीं मिला है।	कोई टिप्पणी नही।
(सी)	हमारी राय में एवं हमें दी गयी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों के अनुसार इस वर्ष में स्थायी सम्पत्तियों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग को नहीं बेचा गया है और इसलिए गोइंग कन्सर्न एजम्पशन पर कोई प्रभाव नहीं आता है।	कोई टिप्पणी नही।
(ii) (ए)	हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की चल सम्पत्तियों (स्टॉक) का भौतिक सत्यापन युक्तियुक्त अन्तराल से प्रबन्धन द्वारा किया गया है।	कोई टिप्पणी नही।
(बी)	हमारी राय में एवं हमें दी गयी सूचनाओं व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यापार की प्रकृति को देखते हुए प्रबन्धन द्वारा भौतिक सत्यापन की जो विधि अपनाई गई है, वह युक्तियुक्त एवं पर्याप्त है।	कोई टिप्पणी नही।
(सी)	हमारी राय में एवं हमारे द्वारा रिकार्ड्स के परीक्षण के आधार पर कॉपोरेशन द्वारा सॉफ्टवेयर पर सम्पूर्ण स्टॉक का रिकॉर्ड रखा हुआ है। पुस्तकों में दर्ज सूची से स्टॉक के भौतिक सत्यापन के समय कोई अंतर दृष्टिगत नहीं हुआ है।	कोई टिप्पणी नही।
(iii) (ए)	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखों के परीक्षणों के आधार पर कम्पनी ने किसी भी कम्पनी, फर्म या किसी पार्टी को न तो किसी प्रकार का ऋण (सुरक्षित एवं असुरक्षित) दिया और न ही लिया है जो कि धारा 301 कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर में आता हो	कोई टिप्पणी नही।

Scanned with CamScanner

	इसलिए धारा 3 (बी), 3 (सी) और 3 (डी) लागू नहीं है।	
(इ)	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखों के परीक्षणों के आधार पर कम्पनी ने कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत बनाये गये रजिस्टर में आने योग्य न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टी को दिया हैं या लिया है, इसलिए बिन्दु संख्या (एफ) और (जी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नही।
(4)	हमारी राय में एवं हमें दी गयी सूचनाओं व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार एवं इन्वेन्ट्री तथा चल/अचल सम्पत्तियों की खरीद हेतु व्यापार की प्रकृति, माल की बिक्री और सेवाओं को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था काफी सुदृढ़ है। हमारे अंकेक्षण के दौरान, आन्तरिक नियंत्रण में बड़ी कमजोरियों को दूर करने में कोई लगातार असफलता दृष्टिगत नहीं हुई।	कोई टिप्पणी नही।
(5) (ए)	कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत कम्पनी का कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं है।	कोई टिप्पणी नही।
(6)	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58अ और 58अअ के अध्यधीन कम्पनी ने पब्लिक से कोई धन नहीं जुटाया हैं।	कोई टिप्पणी नही।
(7)	प्रबन्धन द्वारा दी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के आधार पर कम्पनी में प्रबन्धन द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म नियुक्त कर वर्ष के दौरान आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति लागू की हुई है।	कोई टिप्पणी नही।
(8)	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (i) (डी) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत लेखों का संधारण हमारे व्यवसाय में मान्य नहीं किया गया है और इसलिए कम्पनी के लिए मान्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नही।
(9) (ए)	कम्पनी नियमित रूप से गैर–विवादित वैधानिक सरकारी बकाया जैसे भविष्य निधि, विनियोग शिक्षा एवं सुरक्षा कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सैस और अन्य वैधानिक भुगतान, समय पर नियत सरकारी महकमें में नियमित जमा करवाती रही है। हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च 2014 को देय दिनांक से 6 महिने से अधिक समय	कोई टिप्पणी नही।

Scanned with CamScanner

	की उक्त प्रकार की किसी भी गैर–विवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं था।			
(बी)	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इन्कम टैक्स, वैल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी तथा एक्साइज ड्यूटी आदि का कोई भी भुगतान किसी विवाद के कारण बकाया नहीं है फिर भी निम्नलिखित विवादित कर/डयूटी/सेस बकाया है:–			
कानून का नाम	**कानून मंच का नाम जहां लम्बित है**	**अवधि**	**दावे की राशि (रू.)**	
सेवाकर विभाग	राजस्थान उच्च न्यायालय	अगस्त 2007	5,21,25,843	कोई टिप्पणी नही।
	सीसटेट, नई दिल्ली	सितम्बर 2007 से मार्च 2011	12,58,10,102	कोई टिप्पणी नही।
आबकारी विभाग	आयुक्त आबकारी विभाग	2012	273.19 लाख	कोई टिप्पणी नही।
आयकर विभाग	1. उच्च न्यायालय	कर निर्धारण वर्ष 2006–07	53341990	आयकर विभाग द्वारा उठायी गयी मांग के लिये निगम ने सीआईटी (अपील) व आई.टी. ए.टी. के समक्ष अपील दायर की है। वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित अपील का निर्णय सीआईटी (अपील) व आईटीएटी द्वारा निगम के पक्ष में दिया। आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील की है। मामला माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेन्च में लम्बित है।
	2. उच्च न्यायालय	2007–08	67020550	निगम ने अपील दायर की एवं आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रिविलेज फीस को राजस्व व्यय मानते हुए निगम के पक्ष में फैसला दिया, फिर भी निगम तथा आयकर विभाग दोनो ने अलग अलग आधारो पर आई.टी.ए.टी. जयपुर में अपील दायर की है। आई.टी. ए.टी. ने आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी तथा निगम के पक्ष में फैसला दिया फिर भी आयकर विभाग

Scanned with CamScanner

				एवं निगम दोनो ने अलग अलग आधारो पर माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर बैन्च मे अपील दायर की है।
	3. आई.टी.ए.टी., जयपुर बेंच बी	2008–09	91986159	आयकर आयुक्त(अपील) ने निगम के पक्ष में फैसला दिया तथा मांग की गयी राशि रू. 9,19,86,159 को खारिज कर दिया फिर भी निगम तथा आयकर विभाग दोनो ने अलग अलग आधारो पर आई.टी.ए.टी. जयपुर बेन्च–बी में अपील दायर की है। मामला माननीय आई.टी. ए.टी., जयपुर बेन्च में लम्बित है।
	4. आई.टी.ए.टी., जयपुर बेंच बी	2009–10	117888170	आयकर आयुक्त (अपील) ने निगम के पक्ष में फैंसला दिया तथा मांग की गयी राशि रू. 11,78,88,170 को खारिज कर दिया फिर भी निगम तथा आयकर विभाग दोनों ने अलग–अलग आधारों पर आई.टी.ए.टी. जयपुर बैंच–बी में अपील दायर की है। मामला माननीय आई.टी.ए.टी., जयपुर बेन्च में लम्बित है।
	5. आई.टी.ए.टी., जयपुर बेंच बी	2010–11	261031330	आयकर आयुक्त (अपील) ने निगम के पक्ष में फैंसला दिया तथा मांग की गयी राशि रू. 64,80,970 को खारिज कर दिया फिर भी निगम और आयकर विभाग दोनों ने अलग–अलग आधारों पर आईटीएटी जयपुर बैंच बी में अपील दायर की है। मामला माननीय आई.टी.ए.टी., जयपुर बेन्च में लम्बित है।

Scanned with CamScanner

	6. सी.आई.टी. (अपील्स)	2011–12	94166690	निगम ने सीआईटी (अपील्स) जयपुर को अपील दायर की है और मामला लम्बित है।
श्रम अधिनियम	उच्च न्यायालय	2006	8.92 लाख	एक ठेकेदार सुश्री अनु गुप्ता द्वारा मॉगी गई रू. 8.92 लाख की दावा राशि का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के पास विचाराधीन है।
	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश	2009	4.37 लाख	रू. 4.37. लाख अपनी बकाया राशि निगम से लेने हेतु मैसर्स राहुल बटाला (खुदरा विक्रेता) ने अतिरिक्त सिविल जज, कोटा के समक्ष निगम के विरूद्व वाद दायर किया है।
	उच्च न्यायालय	2011	1.69 लाख	रू. 1.69 लाख सवाई माधोपुर डिपो के गोदाम किराये के लिए किया गया दावा जिला जज सवाई माधोपुर द्वारा श्रीमति मुन्नी देवी के पक्ष में सुनाया गया। निगम ने इसकी अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर की है। निगम द्वारा जिला जज सवाईमाधापुर को उनके निर्णयानुसार राशि रू. 1,68,795/– जमा कराये हुए हैं।
	श्रम आयुक्त, क्षतिपूर्ति, सवाई माधोपुर	2009	5.58 लाख	रू. 5.58 लाख श्रीमति सरस्वती देवी ने अपने पति की मृत्यु के मुआवजे के लिए श्रम आयुक्त सवाई माधोपुर के समक्ष निगम के विरूद्व वाद दायर किया हैं।
(10)	कम्पनी को 31 मार्च, 2014 तक कोई संचित–हानि नहीं है। हमारे द्वारा अंकेक्षित वित्तीय र्ष में कम्पनी को कोई नकद हानि नहीं उठानी पड़ी तथा ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि नहीं उठानी पड़ी है।			कोई टिप्पणी नही।
(11)	हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार			कोई टिप्पणी नही।

Scanned with CamScanner

	हमारी राय है कि कम्पनी वित्तीय संस्थाओं, बैंक या ऋण–पत्र धारकों के पुनर्भुगतान में कही भी दोषी नहीं पाई गई है।	
(12)	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने शेयर, डिबैन्चर्स या अन्य प्रतिभूति गिरवी रख कर कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नही।
(13)	कम्पनी कोई चिट फण्ड / निधि / म्यूच्युअल बेनीफिट फण्ड/सोसायटी नहीं है, अतः कम्पनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर 2003 (संशोधित) के प्रावधान लागू नहीं होते है।	कोई टिप्पणी नही।
(14)	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी शेयर, प्रतिभूति डिबैन्चर्स या अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती है।	कोई टिप्पणी नही।
(15)	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने दूसरों के द्वारा बैंको या वित्तीय संस्थाओं से उठाए गए ऋण की कोई जमानत नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नही।
(16)	हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया पर आधारित एवं प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने अंकेक्षण वर्ष में कोई सावधि–ऋण नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नही।
(17)	हमें दिए गये स्पष्टीकरण व सूचनाओं के आधार पर तथा कम्पनी के 31 मार्च 2014 के तुलन–पत्र की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि के लिए प्राप्त की गई राशि का लम्बे समय के लिए निवेश नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नही।
(18)	अंकेक्षण प्रक्रिया पर आधारित एवं प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का कोई भी अधिमान्य आवंटन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नही।
(19)	अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी का कोई डिबेंचर बकाया नहीं है।	कोई टिप्पणी नही।
(20)	कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नही।
(21)	अंकेक्षण प्रक्रिया पर आधारित और हमें दी गई सूचनाओं व स्पष्टीकरणों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कम्पनी की न तो कोई जालसाजी दृष्टिगत हुई है और न ही प्रबन्धन द्वारा ऐसे प्रकरणों की कोई सूचना दी गयी।	कोई टिप्पणी नही।

Scanned with CamScanner

संख्या / No. सी.ए.डब्ल्यू.-I / वा.ले./ आरएसबीसी / 2013-2014 / के-514 / D-1413

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान
जनपथ, जयपुर - 302005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR- 302005

दिनांक / Date 22/09/2014

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड,
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ,
जयपुर।

विषय : राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर के वर्ष 2013-2014 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (5) के अन्तर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (4) के अधीन शून्य टिप्पणी प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखे एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

ह0

उपमहालेखाकार

(आर्थिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1)

Phone : 0141-2385431-39* Fax : 91-141-2385230* Email : agauRajasthan2@cag.gov.in

Scanned with CamScanner

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयाँ

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों का कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर उनके व्यावसायिक निकाय, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित आडिटिंग एण्ड एश्यूरेन्स मापदण्डों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने का है। यह अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 27 अगस्त 2014 के अनुसार उनके द्वारा किया गया। राजस्थान स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन लि. का 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अन्तर्गत किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण बिना वैधानिक अंकेक्षकों के पत्रों के स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह वैधानिक अंकेक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ चयनित अभिलेखों की परीक्षा तक प्राथमिक रूप से सीमित है। मेरे अंकेक्षण के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अनुसार किये गये वैधानिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन पर पूरक और अन्य कोई टिप्पणी देने हेतु कोई बात मेरी जानकारी में दृष्टिगत नहीं हुई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिये तथा आधार पर

ह0
(एस. आलोक)
महालेखाकार (ई एण्ड आर.एस.ए.)
राजस्थान, जयपुर

स्थान–जयपुर
दिनांक–22.09.2014

Scanned with CamScanner

प्राक्सी का फोर्म
(कम्पनी अधिनियम 1956 के लिए धारा 176 (6))
राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

मैं ..... का ..... जिले में .....ऊपर नामित कम्पनी के सदस्य/सदस्यों के रूप में एतद् द्वारा ..... के ..... जिले में ..... अपनी/हमारी ओर से प्रॉक्सी के रूप में कंपनी की नवीं वार्षिक आम बैठक में, जिसमें, मैं संबंधित हूँ और जो दिनांक ..... को आयोजित हो रही है, में वोट करने के लिए और उससे संबंधित कार्यवाही एवं उसके किसी स्थगन तक के लिए नियुक्त करता हूँ।

..... दिवस ..... 2014 को इस पर हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर

100 पैसे का रसीदी टिकट

Scanned with CamScanner